

14.07 hrs.

PREVENTION OF FOOD ADUL-
TERATION (AMENDMENT) BILL

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): Mr. Deputy-Speaker, While moving for referring this Bill to the Joint Select Committee, may I, with your permission, correct what is printed here. Instead of 30, it will be 33 Members, 22 from Lok Sabha and 11 from Rajya Sabha. Two names may please be added, Shri Shiv Charan Gupta and Shri Prabhu Dayal Himat-singka to the names printed here.

Mr. Deputy-Speaker: She may move the motion.

Dr. Sushila Nayar: I beg to move:

"That the Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 33 members, 22 from this House, namely: Shri K. L. Balmiki; Shri Sonubhau Dagadu Baswant, Shrimati Jyotsna Chanda; Shri N. C. Chatterjee; H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo; Shri Shiv Charan Gupta; Shri Prabhu Dayal Himatsingka; Shri Tulshidas Jadhav; Shri Hari Vishnu Kamath; Shri C. M. Kedaria; Dr. Mahadeva Prasad; Shri Yamuna Prasad Mandal; Dr. G. S. Melkote; Shri Gokulnanda Mohanty; Dr. D. S. Raju; Sardar Ranjit Singh; Dr. Sarojini Mahishi; Dr. C. B. Singh; Dr. P. Srinivasan; Shri U. M. Trivedi; Shrimati Vimla Devi, and the Mover and 11 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations

and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 11 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

Mr. Deputy-Speaker: The motion is now before the House.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshan-gabad): The hon. Minister is not making any speech?

Mr. Deputy-Speaker: She will reply at the end.

Shri Prabhat Kar (Hooghly): Mr. Deputy-Speaker, so far as this motion is concerned, it is good that efforts are now being made to see that a proper machinery is set up to punish the persons who attempt to adulterate things. The Government expects that there will be improvement in the situation by simply putting inspectors instead of local authorities.

I do not know how this is going to change the whole atmosphere. The Statement of Objects and Reasons itself says that the administration of the Act during the last about eight years has revealed that the machinery provided by the Act is inadequate. It is also being admitted here that there are "increasing tendencies to indulge in adulteration." What do we find? Most of the persons who adulterate food go unpunished. I do not know why the Government has not considered taking stern action, because according to us, this adulteration of food is nothing but a cold-blooded murder not only of individuals, but of the community and the whole nation. Those who commit murders may do so under the influence of various psychological factors. But those who adulterate food do it with a cool brain, with a view to doing harm not to an individual, but to the whole society.

[Shri Prabhat Kar]

The only increase in the punishment that has been suggested under clause 7 amending section 17 of the principal Act is that there is some increase in the fine and a few months' increase in the term of imprisonment. I suggest that the Select Committee should consider providing for sterner punishment for those who adulterate food.

Secondly, it has been found often that it is mostly the retail shopkeepers who are punished and the big fry, the wholesalers, are allowed to go scotfree. In Calcutta, we have seen that none of the wholesalers, the big merchants who adulterate food, have been arrested. No search has been made in Bara Bazaar and other places. But only the smaller people who purchase foodstuffs from the big merchants are arrested and small punishments are inflicted upon them. We want that the Government should take serious measures and in doing that the machinery must operate in such a way that no influence is brought upon the inspectors, because we find that those who adulterate food and sell it have got influence. Today, I would say that the corruption is so rampant that it is very difficult for the small honest people who really want to catch those persons who commit this crime. Unless the Government is determined to root out this corruption, those persons will not be arrested and adulteration of food will continue unabated.

It is good that now an amendment is being made and some changes have been suggested like some increase in the punishment. So far as the Bill is concerned, it is welcome. The Select Committee must go into the matter fully and with the experience gained in all these years, the Select Committee should improve upon the Bill and provide for such deterrent punishment that no one will dare to indulge in food adulteration. Other-

wise, if you simply provide for a fine of Rs. 2,000 or Rs. 3,000, these persons who make huge profits by selling adulterated food will commit the crime and pay the fine. So I suggest that a sterner punishment should be considered by the Select Committee. Also, the machinery should be such that those persons who adulterate food may not be able to drive away the inspectors by exercising some influence and they may not be able to go scotfree. These are my suggestions to the Select Committee and I hope the Select Committee will consider this problem thoroughly, because every family suffers by adulteration of food. It is a serious problem. I hope the Select Committee will consider this aspect and increase the punishment.

Shri Balakrishnan (Koilpatti): Sir, today adulteration has become very common. Adulteration is deliberately made not only in food articles but in every article by putting some substitutes, without any care whatsoever for the health aspect. Most of the diseases are due to adulteration of the food articles and the contamination of foodstuffs. The food articles in cities are being sold in the open in an exposed condition. In Delhi itself, in places like Chandni Chowk and Daryaganj and in other places, you can see hundreds of vendors selling eatables keeping them exposed in the open air. You can see flies and other insects sitting on the food articles. The people in the city do not have any hesitation to purchase these food articles.

Even old boiled fish and old mutton are being sold in many places. It is said that bad meat is the cause for tuberculosis and old fish are responsible for many allergic diseases. But unfortunately the health authorities and the municipal authorities are not taking any action to prevent the sale of such things. I want some action

to be taken to prevent such articles being sold in the open. In this respect the rural people are better than the town people. It is not because the rural people look at it from the health point of view, but they think this is a pollution—eating things which are sold in the open. But the town people do not feel like that and without any hesitation, they purchase and eat things from the bazaar.

Regarding adulteration, I have heard that sambar powder and curry powder are being adulterated with brick powder. Animal fat is being used to adulterate butter and ghee. I remember that a few years ago a committee of experts was appointed to find out a suitable colouring material for colouring vanaspati to prevent its adulteration. I do not know what the result of that committee is.

In Madras State, the price of soap nut powder has been going up because it is being exported to other States where there is no prohibition. It is said that soap nut powder is being mixed with toddy by the toddy vendors so as to produce more foam in the toddy. So, they are importing soap nut powder from Madras State for this purpose. So, the price of soap nut powder is going up and our people are suffering because we are accustomed to taking bath daily and oil bath every week and we are not able to get soap nut powder. Similarly, in Madras I have noticed many people are putting lime powder while cooking rice, which is very dangerous to health. It is very necessary to prevent all such things. So, I support the Bill.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, I welcome this Bill for more reasons than one. This shows the sensitivity of the social conscience of our Health Minister that she has found time to bring forward this Bill. But my question is this: does this Bill go far enough? Will this Bill solve the problem? Will it stop food adulteration? Will

it put a curb on the activities of those persons who are guilty of this heinous social sin? I agree with the hon. Member who preceded me when he says that food adulterators are social assassins. If somebody wants to murder me, I would not mind because it would be quick death; it will be more or less physical death. But adulteration means slow death. It is the insidious poisoning and debilitating of our system which is brought about by this kind of food adulteration.

As the hon. Member from Madras said, we all know that food adulteration is with us everywhere. I do not know if there is any article of food which is not liable to be adulterated. I am told that pepper can be adulterated; so also powder. Ghee is adulterated; chillies are adulterated; our flour is adulterated. There is some kind of stone which is found in the State of Rajasthan which when ground, powdered and boiled along with milk gives thicker consistency to milk. A gentleman who once came to see me told me that this stone—I forget the name of the stone—is having very brisk sale all over India. All milk vendors are purchasing that stone and mixing it with milk because if the milk has been boiled along with the powder of that stone it gives the milk a thicker consistency.

I ask this question. What is the position of the citizen of free India today? The air that he breathes is polluted on account of the industrialisation of this country, the food that he gets is adulterated and the water that he gets, from Delhi at least, is adulterated—as my hon. friend, Shri Kamath, once put it, that the Joint Water and Sewerage Board is living up to its reputation by mixing water with a good quantity of sewerage.

Shri Hari Vishnu Kamath: You have a good memory.

Shri D. C. Sharma: So that the water that we drink is not pure. I

[Shri D. C. Sharma]

think the Indian citizen is living in very, very dangerous circumstances and something has got to be done to safeguard his health, to protect him from all these kinds of insidious things.

I know the Health Ministry is conscious of this problem. This question has been dealt with by the Central Health Council. Doctors know all about it. Not to speak of the medical authorities, I think every citizen knows about it. But will this deterrent punishment prevent this kind of anti-social crime which is going on in our country on a very big scale, in the retail shops, in the factories and among the wholesale dealers? With all humility I would suggest that even though the penal provisions of this Bill are going to be tightened and made more stringent, I feel that they fall wide of the mark. I think six months, two years or three years is nothing. I think these persons should be dealt with in the same way in which a murderer is dealt with.

Shri S. S. More (Poona): Floggiag.

Shri D. C. Sharma: They are more tricky murderers than the usual kind of murderers.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Confiscate all their property.

Shri D. C. Sharma: So, I think the distinction between the first offence, second offence and the third offence should be abolished. I think we should make the committer of the first offence liable to a punishment of seven years along with a fine of at least Rs. 2,000. If that is done, perhaps it will put fear of God in the heart of the malefactors who vend this kind of adulterated stuff. But if the hon. Minister is very eager to keep these three categories of malefactors, it should be done in some other way. I do not know what these categories mean. I think a wrong-doer is a wrong-doer. A

wrong-doer in the first instance is a wrong-doer; in the second instance, he is a habitual wrong-doer; in the third instance he is an incorrigible wrong-doer. So, it is better that we nip the evil in the bud and give the wrong-doer a big dose of punishment so that he does not think of doing it again. I feel that this graduated scale of punishment is not going to plug the holes in the administration of this Bill.

Secondly, I am glad that the food inspector is going to be upgraded. So far, the food inspector was an employee of a municipality and he was a prey to all kinds of influences.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, on a point of order. I am sure you will agree that my hon. friend, Professor D. C. Sharma, who is making an interesting speech, deserves a quorum in the House.

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung.....Now there is quorum. He might continue his speech.

Shri D. C. Sharma: It is good that the food inspectors are going to be upgraded. It is good that they are being taken out of the jurisdiction of the municipalities and local self-government authorities. It is very good that they are going to be placed under the State Government.

One of the drawbacks of legislation at the Centre is this, that we legislate in the best possible interests of our nation and our legislation is good very often but the implementation of the legislation is left in the hands of somebody else. It is like producing a baby and not owning it. It is like producing a baby and giving it away to somebody else, and asking somebody else to father that baby. I have read some books. Some godfathers seem to be good godfathers and some godfathers prove to be very ineffective godfathers. So far as the relationship between the Centre and the States is concerned in

the implementation of these Acts, I think nobody can deny that the States have proved to be very indifferent guardians of the noble intentions of the Central legislature. They have been found to be very tardy in implementing these things. They have not had their heart in implementing these things. They think that they are holding somebody else's baby and that they need not bother about it.

I shall leave this problem to the Joint Committee. They should find some ways for it.

There is a phrase here 'centralisation of administration'. I think we should deal with this problem not in a piecemeal fashion but on a war footing. We should deal with this problem as we deal with the defence of our country, the defence of our border, or the defence of the integrity of the country. This problem has to do with the defence of the human body and the human mind. And therefore the Joint Committee should see to it that this service is centralised and that these food inspectors are given some kind of role which has to do more with the Centre than with the States. They should be under the Centre, directly under the Centre if possible, and not under the States as is contemplated in this Bill.

An Hon. Member: How will it work?

Shri D. C. Sharma: It does work, it can work. We have so many services here which are lent to the States, and we can lend the services of these food inspectors to the States, and they can be directly responsible to the Centre. Unless you do that, nothing is going to happen.

The other point is this. Take the case of major ports, airports customs stations and railway stations; these are under the Centre. If these are under the Centre why not this thing be under the Centre? Big cities, municipal towns, can be under the

influence of the Centre, if not every village or small town whose population is two thousand or three thousand.

Shri Himatsingka (Godda): Is it suggested that the States do not want to prevent adulteration?

Shri D. C. Sharma: I think you do not understand what I am saying; and you will never understand what I am saying, because one of your theses about it is this that I get up and I try to run down the capitalists. I do not run down the capitalists, that is the benevolent capitalists, but I do run down the stupid capitalists, those who do not understand what I am saying. Sir, I am not referring to that gentleman but I am speaking in general terms. Airports, major ports, customs stations are all under the Centre. (*Interruption*). Have you read this Bill. You went about getting your name in the Joint Committee and you have not read the Bill. I have read this Bill, as well as the original Act.

Sir, as I was saying, major ports, airports, customs stations, railway stations, they all are under the supervision of the Centre. If they are under the supervision of the Centre, why not big cities like Delhi, Amritsar, Calcutta and Bombay be under the Centre; why not all these sizable towns be brought under the supervision of the Centre? This can happen. If necessary, we will change our Constitution. Nineteen times we have amended it, and for a twentieth time we can amend it, with your goodwill.

Sir, I want to make two or three observations so far as the clauses are concerned. I am glad that one comprehensive phrase has been used here, namely, "in the interests of public health". But I would submit very respectfully that this "interest of public health" is a good but a general and vague phrase. It should be slightly defined in the rules.

Again, I wish to say that there is a loophole provided in this Bill to

[Shri D. C. Sharma]

the vendor. He can easily get out of it. The provision here runs thus: "A vendor shall not be deemed to have committed an offence pertaining to the sale of any adulterated or misbranded article of food if he proves that he purchased the article of food" and so on and so forth. This clause 8 has four sub-clauses, and I think these four sub-clauses provide the loopholes. I hope all these loopholes will be plugged, so that nobody, no fish can get out of this net—and there is an abundance of such fish.

In the end I would say that this is a good Bill. But, Sir, as you know, the way to hell is sometimes paved with noble intentions. This is a Bill of noble intentions. But I hope it will not lead us to the hell of adulteration but will lead us to the heaven of purity of food, to the heaven of good health of our citizens, to the heaven of resplendant, radiant health for the citizens of India, whether they live in cities like Calcutta or in towns like Jhansi and Gurdaspur, or in small villages of which India has so many lakhs.

With these words I commend this Bill for the acceptance of the House.

श्री बड़े (खारसौन) : उपाध्यक्ष महोदय शासन की ओर से यह जो खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) बिल सदन के सामने लाया गया है उस के लिये मैं मंत्राणी महोदय का अभिनन्दन करता हूँ और इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ। हालांकि यह काफ़ विलम्ब से आया है तो भी बैटर लेट दैन नैवर के आधार पर मैं इस का स्वागत करता हूँ। पिछले दो साल में इस तरह का बिल लाने में कितनी ही बार इस पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है। यह ठीक है कि अब सरकार इस को हाउस के सामने लायी है। चूँकि यह बिल संलेक्ट कमेटी के पास जा रहा है इसलिए मैं इस के विभिन्न क्लोज़ पर विचार न करते हुए दरअसल मैं यह

परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई उस का विश्लेषण करूंगा।

फूड ऐडल्टरेशन अर्थात् खाद्य पदार्थों में मिलावट भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हो रही है और अगर उस का परसेंटेज निकाला जाय तो पता चलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से उस का परसेंटेज कहीं अधिक बढ़ गया है।

"According to the Annual Report of the Food Adulteration Act of 1958 the percentage of adulteration varied from 15.9 to 66.7 per cent in different States and the all-India average stood at 29.1 per cent."

हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड नामक समाचारपत्र में इस प्रकार का समाचार छपा था। उस का मुख्य कारण यह है कि शासन की व्यवस्था बराबर नहीं थी, लक्ष्य बराबर नहीं था। लोकल बौटीज को यह कार्य दिया गया था। उसमें फूड इंस्पेक्टर रखे गये थे। ऐनालिसिस करने के लिए एक लेबोरेटरी होती थी लेकिन ऐनालिसिस के लिये उस लेबोरेटरी में ज़रूरी स्टॉफ़, इंस्ट्रुमेन्ट्स और साइंटिस्ट्स नहीं होते थे जिस के कि कारण काम नहीं हो पाता था। वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट रहता था और पंच लोक पंचायतनामों के लिये भी रहते थे लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर के पास ज़रूरी टूल्स ही नहीं तो वह क्या कर सकता है। उन को कोई अधिकार नहीं रहता था। वह जब गांव में जाते हैं और गांव में जब पंच लोगों को बुलाते हैं तो यह पंच आने को तैयार नहीं होते हैं। लेबोरेटरी को हालत जैसा मैंने बतलाया वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था का अभाव होता है। मैं एक, दो जांच के केसेज के बारे में बतलाता हूँ जिन की कि रिपोर्ट मैंने देखी है, कांटें में वे आये थे, वह मेरे केसेस नहीं थे, एक दूसरे वकील के के मध्य प्रदेश में। एक लेबोरेटरी में एक सैम्पुल

जांच के लिये भेजा गया था। अब उस की जांच करना तो दूर रहा रिपोर्ट यह आई है, खवा या मात्रा के बारे में रिपोर्ट है कि :—

“Fungus growth has developed over it and the sample is giving foul smell; hence it is rejected.”

इसी तरह से एक दूसरा जांच का बेस जोकि दही का था औं जोकि रीवां की लेबोरेटरी में जांच के लिये भेजा गया था उस बारे में लेबोरेटरी वालों ने यह रिपोर्ट दी है : —

“The curd cannot be analysed due to want of certain chemicals and appliances. As the sample cannot remain in good condition for a long time, hence it is rejected.”

इस तरह से लेबोरेटरीज की हालत चलती है। तीन, तीन हजार सैम्पल जांच के लिए वहां एक महीने में जाते हैं लेकिन चूंकि लेबोरेटरीज में जरूरी स्टाफ और इन्विपमेंट वगैरह नहीं रहता है इसलिये बड़ी मुश्किल से केवल २०, ३० या ३५ इस तरह के सैम्पल्स की जांच कर के उन का विश्लेषण कर के भेज पाते हैं और बाक़ी के सैम्पल रिजैक्ट कर के भेज दिये जाते हैं। इसी कारण सब खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। हमारे यहां जो ग्राउंडनट आयल मिलता है, उस में भी मिलावट रहती है। यहां पर तो मस्टर्ड आयल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहां मूंगफली का तेल या भूईंमूंग का तेल इस्तेमाल किया जाता है। उन में व्हाइट आयल और दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं। जब किसी रिटेलर से सैम्पल ले कर विश्लेषण के लिये भेजा जाता है और उस में मिलावट पाई जाती है, तो कम्पनी को नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कम्पनी कहती है कि हमारे यहां से तो शुद्ध माल गया था, यह सैम्पल तो रिटेलर से लिया गया

है। रिटेलर कहता है कि हम तो यह माल होलसेलर से लाए हैं, हमें इस के बारे में कुछ पता नहीं है।

इसलिए मिलेवटर कमेटी को इस बात पर विचार करना चाहिये कि अगर किसी वैजिटेबल घी में या तेल में मिलावट पाई जाती है, तो कम्पनी को लायबल समझा जाना चाहिये। अगर कम्पनी को लायबल नहीं समझा जाता है, तो फिर यह कानून किसी काम का नहीं है।

इस बिल में जो व्यवस्थायों की गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं। इस में ज्यादा सजा देने की जो व्यवस्था की गई है, उस से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस समय स्थिति यह है कि जो व्यक्ति मिलावट का अपराधी पाया जाता है, वह पांच, पच्चीस या तीस रुपया जुर्माना दे कर छूट जाता है। हम यह भी देखते हैं कि अब तो पांच लोग कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अगर वे आ जाते हैं, तो वे कोर्ट में आ कर बदल जाते हैं।

आज सारे हिन्दुस्तान में मिलावट हो रही है। मैं इस के दो चार उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली में बसाले में साइस्ट (लकड़ी का भूसा) मिलाया जाता है। ऐसे कई केस यहां पर पकड़े गये हैं।

आइस बनाने में रही पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस को चैक नहीं किया जाता है। शामन के सामने बहुत बफ़ा ऐसे केस लाए गए। इस बारे में आश्वासन भी दिये गए, लेकिन इस प्रकार की मिलावट को रोकने में अभी तक मफलता नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि इस का कारण यह है कि इस समय फूड इंस्पेक्टर को बहुत कम पगार मिलती है। माननीय मंत्री जी ने

[श्री बड़े]

२६ अगस्त, १९६३ को एक जगह यह वक्तव्य दिया :—

"I know Food Inspectors who possess cars and you could well imagine from whence the money came."

फूड इंस्पेक्टरों और लैबोरेटरीज में काम करने वाले एनालिस्ट्स के करप्ट होने का कारण यह भी है कि जब कोई सैम्पल विश्लेषण के लिये किसी लैबोरेटरी में भेजा जाता है, तो बड़े बड़े कंपिटलिस्ट और पूंजीपति रिश्वत दे कर उस सैम्पल को बदलवा देते हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि सैम्पल के साथ कम्पनी का नाम न दे कर कोई नम्बर दिया जाये। कम्पनी का नाम होने से लैबोरेटरी के एनालिस्ट्स को रिश्वत देने और उन को करप्ट करने का अवसर मिलता है। यदि मध्य प्रदेश का कोई सैम्पल हो, तो उस को विश्लेषण के लिये दिल्ली भेजना चाहिये और अगर दिल्ली का कोई सैम्पल हो, तो उस को मध्य प्रदेश या बम्बई भेजना चाहिये। ऐसा करने पर ही लैबोरेटरीज में ठीक विश्लेषण हो सकेगा।

इस के अतिरिक्त आज-कल हमारी लैबोरेटरीज वैल-एक्विपड नहीं हैं। इस बारे में बहुत चिल्लाहट मचाई गई। एक समाचार-पत्र में यह लिखा गया :—

"Corrupt officials, poor laboratory facilities and inadequate law are the major factors responsible for perpetual adulteration of food articles in the capital.

The inadequate and poorly staffed laboratory of the Corporation is also proving a big hurdle. It takes from a fortnight to a month to test a sample.

There are only six laboratory Assistants—too few to cope with the work.

Housed in a small room in Town Hall, the laboratory is overcrowded. The Corporation plan to build a laboratory at the junction of Rajpur Road-Mall Road with modern equipment is in cold storage."

मुझे मालूम नहीं है कि इस समय क्या स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस सदन को बतायें कि राजपुर रोड पर जो लैबोरेटरी बनाने का इरादा था, क्या वह कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है या उस को बाहर निकाल कर वह लैबोरेटरी तैयार हो रही है।

जिन को मरचेंट्स अफ़्फ़ीडेड, मृत्यु के व्यापारी, कहा जाता है, यदि सरकार ने दर-अस्ल उन पर कुछ नियंत्रण रखना है, तो उस को इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करनी होगी। जो जोन्ड तैयार किये जायेंगे, वह एक बहुत सुन्दर विचार है, लेकिन आखिर में जो व्यवस्था की गई है, वह मेरी समझ में नहीं आई है। फ़िनांशल मेमॉरैंडम में कहा गया है :—

"To co-ordinate the work of the Food Inspectors appointed by the Central Government and the State Governments and for the rigorous enforcement of the provisions of the Act and the rules made thereunder, a separate unit at the Centre and five zonal offices in the country are proposed to be established. The expenditure involved on account of the appointment of Food Inspectors by the Central Government and the setting up of the Central and zonal offices, is as indicated below".

माननीय मंत्री इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ये पांच जोनल आफ़िसिज देश में कहां कहां स्थापित किये जायेंगे। इस के अतिरिक्त क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से फूड इंस्पेक्टर नियुक्त करने से ड्यूल गवर्नमेंट तो शुद्ध

नहीं हो जायेगी ? एक तो केन्द्रीय सरकार के फूड इंस्पेक्टर होंगे, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर होंगे और एक इन्दौर कार्पोरेशन के फूड इंस्पेक्टर होंगे । क्या इन फूड इंस्पेक्टरों की तीन श्रेणियों में आपस में लड़ाई तो नहीं शुरू हो जायेगी ? जोन्ज की क्या कल्पना है, यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

क्लाज ५ (iii) में कहा गया है :-

In sub-section (7), for the words "as far as possible; call not less than two persons to be present at the time when such action is taken and take their signatures", the words "call one or more persons to be present at the time when such action is taken and take his or their signatures" shall be substituted.

मैं समझता हूँ कि "एज फ़ार एज पासिबल" शब्द ज़रूर होने चाहिएं, क्योंकि उन से ही कोर्ट में मुकदमे सफल होते हैं । अगर ये शब्द नहीं होते हैं, तो फूड इंस्पेक्टर पर बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है । अगर ला मिनिस्ट्री ने ये शब्द निकालने के लिए कहा है, तो यह दुर्भाग्य की बात है । ये शब्द न रहने से फूड इंस्पेक्टर की स्थिति बहुत ख़राब होती है । पुलिस और एक्साइज़ का इंस्पेक्टर तो एरेस्ट कर सकता है । अगर फूड इंस्पेक्टर के पास भी एरेस्ट करने की ताकत होती, तब तो ठीक था । ये शब्द होने पर फूड इंस्पेक्टर कह सकता है कि जो कुछ सम्भव था, वह मैं ने कर दिया है । इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शब्द कायम रहने चाहिएं ।

वेस्ट बंगाल में घ्राटे में मिलावट करने का क्या दुष्परिणाम हुआ, यह मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :-

"In the middle of last year, for instance, there were large outbreaks of paralysis in West Bengal and Assam believed to have

been caused by wheat contaminated with insecticide. Then the country was shocked by large scale drug adulteration. Shri Sanjiva Reddy, Chief Minister of Andhra, said in the State Assembly that "more than half of the medicines" available in the market were spurious. Calcutta and Bombay markets were swamped by spurious substandard and adulterated drugs."

आज हिन्दुस्तान में सिनेमा और होटल बहुत पापुलर हैं । देश के गांव गांव में मोटर-स्टैंड पर होटल और खोम्बे वाले हैं । मैं ने देखा है कि कई होटल और हाकजं चाय में मीठा रंग डालते हैं, क्योंकि उस से कलर ज्यादा होता है । वे लोग चाय के ऐसे नाम रखते हैं : मद्रासी, देड़या, अषा, आदि । इन्दौर, मध्य प्रदेश, में चाय में मीठा रंग डालना भी आफेंस करार दिया गया है, लेकिन फिर भी वे लोग मीठा रंग डालते हैं । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि फूड इंस्पेक्टर्ज के द्वारा होटलों में स्वच्छता और क्लीनलीनेस रखने की व्यवस्था की जाये । सिलेक्ट कमेटी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि चूंकि जनता की हैलथ शासन के हाथ में है, इसलिए साधारण जनता जिन स्थानों पर अधिक जाती है, अर्थात् सिनेमा और होटल आदि, वहां पर स्वच्छ और शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाये । हम देखते हैं कि होटल और हाकजं चीप मैटीरियल को इस्तेमाल करते हैं । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे शुद्ध और साफ़ खाद्य पदार्थ अपने यहां रखें ।

बाकी बातों पर सिलेक्ट कमेटी में विचार होगा । इस बिल में कुछ बातें बहुत सुन्दर रखी गई हैं । पनिशमेंट की जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत अच्छी है । अगर इस से भी ज्यादा पनिशमेंट की व्यवस्था की जाती, तो यह सदन उसको मन्जूर कर लेता । केन्द्रीय सरकार जो जोन्ज बना रही है और अपने फूड इंस्पेक्टर्ज नियुक्त कर रही है, वह अच्छा है, लेकिन जब तक हमारी लेबोरेटरीज अच्छी

[श्री बड़े]

और बैल-एक्विपड नहीं होंगी, तब तक ये सब काम व्यर्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि हर एक जोन में लगभग सात आठ लेबोरेटरीज होनी चाहिए।

लेबोरेटरीज में से एक का मुझे पता है जिस में एक महीने में तीन हजार के करीब सैम्पल गये थे

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has already spoken about it; he is repeating it.

श्री बड़े : मैं यह कहना चाहता हूँ कि लेबोरेटरीज में अगर आप अच्छे साइंटिस्ट नहीं रखेंगे, उनकी पगार नहीं बढ़ायेंगे और साथ साथ इंस्पेक्टरों की भी आप पगार नहीं बढ़ायेंगे, तब तक जितने भी एक्ट आप चाहें बना सकते हैं, जितने भी कानून चाहें पास करवा सकते हैं, लेकिन उन से कोई फायदा नहीं होगा।

Mr. Deputy-Speaker: Shri M. L. Jadhav. I would request hon. Members to take 10 minutes each.

Shri Hari Vishnu Kamath: Three hours have been allotted.

Mr. Deputy-Speaker: There are a large number of Members who want to speak. This is to give chance to as many as possible.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the measure that is before the House. In every day practice we find that in major articles of daily consumption there is adulteration, whether it is milk, ghee, vanaspati, oil, chilly powder or some other things which are of every day use. I find that this Bill seeks to have more punishment for the culprit and tries to have more punishment for the second and the subsequent offences

Of course, the idea behind the Bill to have more punishment is a nice one; but, I am afraid, unless and until efficient machinery is there to detect the crime, to see that the crime that is committed is brought to light, unless and until that machinery is more vigilant and is more efficient, simply because the punishment is increased, it may not serve the purpose.

I am happy that these food inspectors will not be with the local bodies any longer and that they are going to be with the provincial governments now. Even the Central Government is going to appoint these food inspectors so that they can be independent. I may appeal to the Minister that not only these food inspectors should be independent but, at the same time, they should be paid adequately. They should not feel that doing even their own work they should be tempted to accept something which may adulterate their own work. Persons who are going to detect adulteration should be above suspicion and corruption and they should be kept at such a level that they will not be tempted to do something which is dangerous for society.

Adulteration of food is a social offence. It plays with the lives of the people. What do we find in Bombay and in Surat now? We find that hundreds of lives have been lost because of gastro-enteritis or some other disease. Doctors say that it may be mainly due to food adulteration or some such thing. That is playing with human life. Therefore, I feel, that more inspectors should be appointed and these food inspectors should be given adequate powers. A sufficient number of them should be appointed so that they may do their work more diligently and efficiently.

From the facts and figures given by the committee that was appointed to find out the extent of food adulteration I find that food adulteration is from 18 to 90 per cent. If adulteration

is to the extent of 90 per cent, if saw-dust is to be mixed with chilly powder, supari and other articles of daily consumption, I think, that is playing with human life. Such things should be checked; otherwise, that may endanger the health of the society. If the health of the society is going to be affected, then the offender should be brought to book.

There are instances where poor persons are brought to book and big merchants or big persons are let off. That sets a bad example and creates a bad impressin on society, that is, that some influential person may commit a crime and is let off. I feel that the machinery should be such that it should try to check the evil of adulteration.

I am happy that the Bill is going to the Joint Committee. I am sure, the members of the Joint Committee would apply their mind properly and see that this evil of food adulteration is checked and the offenders are brought to book properly.

With these remarks I support the measure that is before the House.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पेश करने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत मुबारिकबाद पेश करता हूँ। देश को इस बिल की जरूरत थी। लेकिन इस बिल में जो खामियां रह गई हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक तो यह कि जो ड्युअल सिस्टम आफ इंस्पेक्टर्स है, यह आगे जा करके आप की सारी की सारी व्यवस्था को खराब कर देगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के इंस्पेक्टर्स होंगे, आपके होंगे, अलग अलग कंट्रोल होगा, इससे एडल्ट्रेशन नहीं रुक सकेगा। इस बिल के आब्जेक्ट्स एंड रीजंस में बताया गया है :

“Under the Act, the power to appoint food inspectors vests with

the State Governments except at major ports, air ports, customs stations and railway stations. The common practice followed by the State Governments is to appoint the Inspectors of local authorities as Food Inspectors. For the proper enforcement of the Act, it is considered necessary that the Central Government also should have power to appoint Food inspectors.”

मैं अर्ज करता हूँ कि “आलसो” की जगह “ओनली” कर दिया जाये। जब यह कर दिया जायेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स के इंस्पेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर काम नहीं कर सकेंगे। आज यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, प्रान्तों में कांग्रेस गवर्नमेंट है, समाजवादी गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी पी० एस० पी० वाले जोकि अपने आप को भी समाजवादी कहते हैं, आपके साथ मिल कर काम नहीं चला सकते हैं, आप और पी० एस० पी० वाले मिल करके काम नहीं चला सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स मिल करके किस तरह से काम चला लेंगे (इंटरप्राइज)

एक माननीय सदस्य : आपका क्या हाल है ?

श्री यशपाल सिंह : हम जिस दिन पावर में आयेंगे तो रातोंरात एक हो जायेंगे। उपाध्य महोदय, मेरी बात को सुन कौन रहा है ? यहां पर तो कोई भी मिनिस्टर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : डिप्टी मिनिस्टर हैं, आप बोलें।

श्री ओंकार लाल बोरवा (कोटा) : वे सुन नहीं रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : सब से ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत आये। दूसरा मेरा निवेदन यह

[श्री यशपाल सिंह]

है कि यह जो वार लेवल की बात कही जाती है, यह न कही जाये करे। बार बार कहा जाता है कि फूड एडल्टेशन के मामले को वार लेवल पर डील किया जाये। वार लेवल इस देश में कहां है। यह सरकार, यह कमजोर सरकार, यह बुजदिल सरकार अपनी भूमि का ३८,००० वर्ग मील दिये बैठी है और उस इलाके को वार लेवल पर काम कर के वापिस नहीं ले सकी है, प्रायें नहीं बढ़ सकी है और अगर कहीं इस एडल्टेशन के मामले में वह वार लेवल पर चली तो इसमें और भी ज्यादा घाघली होगी। इस मामले को मनुष्यता के नाम पर, ह्यूमनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर हल किया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए। इस देश में वार लेवल है कहां? कल ही प्रश्नोत्तर काल में बताया गया था कि पाकिस्तान ने हमारे एक गांव पर कब्जा कर लिया है लेकिन हमारी सरकार उनको नोट ही इस के बारे में लिख रही है, उनका तो अंडा नहा रहा है, हमारी सरकार प्रोटैस्ट ही कर रही है। वार लेवल पर नहीं, कनुव्युत्व के ग्राउंड के ऊपर, मनुष्यत्व की बात को ले करके, ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर इस चीज को खत्म किया जाना चाहिये। जब तक सच्ची नहीं की जायगी यह काम नहीं चलेगा। आप कानून तो बना देते हैं लेकिन उस पर अल ठीक तरह से नहीं करते हैं, दूसरी जो जरूरी बातें होती हैं करने की उनको नहीं करते हैं। जब तक कोटोजेम की मिलें देश में हैं और कोटोजेम दूध में डाल करके घी बनाया जाएगा आप इस मिलावट को रोक नहीं सकेंगे। जिन कोटोजेम को मिला कर के घी बनाया जाता है, उस कोटोजेम को ही आप बन्द कर दें, उन मिलों को ही बन्द कर दें जहां कोटोजेम बनता है तो यह मिलावट भी नहीं हो सकेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिन मिलों में कोटोजेम बनता है उन मिलों को बन्द करके वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर खोले जायें। जब ऐसा होगा, जब इस तरह

की बातें होंगी तब जा कर यह मामला हल होगा, बना नहीं होगा। रंग डालने से तो मामला हल नहीं होगा क्योंकि ला वर्क्स और वाइबर देन ला मेक्स। आप रंग डालेंगे तो वह ऐसा रंग बना लेंगे जिससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। मिल मालिकों को अपने हथकंडे होते हैं। वह ऐसा रंग बना लेंगे कि जब आप के सामने आयेगा तो रंग दिखाई देगा और उसके सामने आयेगा तो रंग दिखाई नहीं देगा। मिल मालिक जो हैं वह इस तरह से आपके काबू में नहीं आयेंगे। जब तक आप यह कानून नहीं बनायेंगे कि आप की जो कोटोजेम और डालडा की मिलें काम करती हैं उनको खत्म करके दूसरी चीजों की मिलें कायम की जायें, तब तक यह चीज रुकने वाली नहीं है।

15 hrs.

इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी कदम जो सरकार इस वक्त उठाये वह यह है कि इसका बनना ही बन्द हो जाये। रंग हमने बहुत से देखे हैं लेकिन वह करामत साबित नहीं हुए। हमने एक ताला देखा। ताला इसलिये बनाया गया था कि चोर न आयें। जब चोर आयेगा तो इतना यह किया गया कि घंटी बजे। चोरों ने ऐसी सूत्र निकाल ली कि मालिक खोलता है तो घंटी बजती है और चोर खोलता है बजती ही नहीं। तो रंग डालना ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका जड़ मूल से नाश कीजिये, जैसे कि दूसरे देशों में नाश किया गया है।

इसके साथ साथ यह जो देहली मिल्क स्कीम का दूध है उसका तालुक आप से तो नहीं है, लेकिन दुनिया के स्वास्थ्य के साथ इसका तालुक है। यह जो दूध है वह पंचिश पैदा करता है, खारिश पैदा करता है। जो दूध बुलन्दशहर से, राजस्थान से, अलीगढ़ से आता है वह पूरे ७२ घंटे बाद एम० पी० क्वार्टर में पहुंचता है और जनता की तो

इतनी बुरी हालत है कि छः छः दिन बाद उसको देते हैं जब कि दूध के विटामिन्स भर जाते हैं, दूध की लाश रह जाती है। इसके लिये आप कानून बना कर नई दिल्ली की कोठियों में गाय और भैंस पालने की इजाजत दीजिये। दिल्ली में कुतिया पाली जा सकती है, लेकिन कानूनन उनमें रहने बारा गाय और भैंस नहीं पाल सकता। इसके लिये कानून बनाया जाना चाहिये और इसकी इजाजत दी जानी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि ५०० मील से दूध आये, १,००० मील से दूध आये, अमरीका से डिब्बों में भर कर दूध आये तो क्या इस से देश स्वस्थ रह सकेगा। हरिज नहीं रह सकेंगा। आज कानपुर शहर में ३६ परसेंट इन्सान ऐसे हैं जिन के अन्दर तपैतिक के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। इसलिये अगर इन कानून को आप को ठीक से लागू करना है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में न छोड़िये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पार्टीवाजी से, अपनी कुर्सी के लिये लड़ने से ही फुसंत नहीं है।

गांधी जी ने "यंग इंडिया" में लिखा था कि जो सजा जाली रुपया बनाने वाले को दी जाती है वही सजा धी में मिलावट करने वाले को दी जानी चाहिये। जो जाली धी बनाता है वह जाली रुपया बनाने से ज्यादा संगीन जुर्म करता है, इसलिये उसको जेल में डाला जाये। वह आप से ज्यादा होशियार है। इसलिये सरकार का काम यह है कि इसको इन्सानियत की प्रान्ड पर खत्म करे। वह लोग इतने चालाक हैं जिसका ठिकाना नहीं है। मैंने चांदनी चौक में देखा कि एक बहुत बड़ी दूकान है, सैकड़ों आदमी वहां पर आते हैं। उस दूकान का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, लखपति है। वह कह रहा था कि मैं पानी डाले उसकी आलाद मरे, आहकों के सामने कह रहा था कि जो दूध में पानी डाले उसका बच्चा मरे, उसका बेटा मरे। मैंने अलाहदगी में जा कर उससे

पूछा कि यह क्या मामला है, इतना प्रचार क्यों कर रहे हो। उसने कह प कि मैं अपने नीकर से पानी डलवाता हूं, इसलिये अगर मरेंगे तो उमक बच्चे मरेंगे, मुझे कोई खतरा नहीं है। इसीलिये मैं कहता हूं कि "ला ब्रेक्स आर वाईडर देन ला मेकरा"।

आज सख्ती की बड़ी जरूरत है। जो भी गड़बड़ी करे उसको सामने खड़ा करके हाथ कटवाये जायेंगे, उसको गोली मारी जायेगी, तभी यह खत्म हो सकेगा, वरना यह खत्म नहीं हो सकता। यह जो डुएल इन्स्पेक्टरशिप है इसे खत्म किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ सरकार का चाहे जितना भी गूड ईंटेशन हो, चाहे जितनी उसने कोशिश की हो, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हम से ही पैदा हुआ पाकिस्तान है उसमें हमारे मुल्क का सवा हिस्सा भी डालडा और कोटोजम इस्तेमाल नहीं होता है। सरकार को इसके लिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कानून पास करने से कुछ नहीं होता। इसके लिये कोई सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे।

"उद्यमेन सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः" खाली मनोरथ से कुछ नहीं हो सकता, शेष-चिल्ली के मन्सुबे से कुछ नहीं होता। कार्य उद्यम से सिद्ध होगा। सरकार का उद्देश्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब तक इन ब्लैक मार्केटिंग्स को और मुनाफाखोरों को सजा नहीं दी जायेगी, जो कि फूड एडल्टरेशन करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये पैदा करते हैं उनको दण्ड नहीं दिया जायेगा, उन के हाथ नहीं कटवाये जायेंगे, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की की है। जो आटा आज भ्रा रहा है उसमें क्या क्या मिलता है इसको देखिये, उसमें मछली का आटा तक मिलाया जाता है, दू सरी गन्दी चीजें तक मिलायी जाती हैं। उसकी जांच के लिये सरकार एक केन्द्र स्थापित करे और बजाय इसके कि छोटे छोटे

[श्री यशपाल सिंह]

दुकानदारों को पकड़ा जाय, जिनकी मिलें हैं, कारखाने हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जो कि गन्दगी उछालते हैं, उनको ऐसा करने से रोका जाये। उनकी मिलों पर पहरे डाले जायें और उन मिल मालिकों को जेल में डाला जाये जो कि इस देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।

आप क्याल कीजिये यह दिल्ली शहर है। एक आदमी दिल्ली स्टेशन पर उतरता है, बाहर से आया है, बम्बई से आता है, विलायत से आता है तो स्टेशन पर जो लोग सबसे पहले पहुंचते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम कलाकार हैं। मैंने पूछा कि कलाकार का क्या मतलब है तो कहा हम नाचना गाना करते हैं। हमारी संस्कृति में कलाकार का मतलब यह नहीं है। इसका मतलब है जो करेक्टर का निर्माण कर सके। जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल कर सके वह कलाकार होता है। दिल्ली हिन्दुस्तान का कैपिटल है लेकिन यहां पर आज जवान पैदा नहीं होते, बहादुर पैदा नहीं होते तेजस्वी पैदा नहीं होते। यहां पर चार तरह के लोग पैदा होते हैं। चार कैटेगरीज हैं। एक कलाकार, दूसरे अदाकार, तीसरे नकलकार और चौथे बेकार। इन चार कैटेगरीज में दिल्ली की कैपिटल खत्म हो जाती है। जवान पैदा नहीं होते, बहादुर पैदा नहीं होते। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार आगे बढ़े, राजू साहब आगे बढ़े, डा० सुशीला नायर आगे बढ़े। आगे बढ़ कर हम गांव गांव और शहर शहर में गश्त लगायेंगे तभी हमारा काम हो सकेगा। जितने भी इन्स्पेक्टरों का काम करते हैं जो कि २००६० लेकर असल को नकल और नकल को असल कर देते हैं ऐसे इन्स्पेक्टरों से यह काम चलने वाला नहीं है। जो काम आप करने का है उसे दूसरे लोग नहीं कर सकते। जो काम जनरल के करने का होता है उसे चौकीदार नहीं कर सकता, इसलिये सरकार इस काम को हाथ में लेकर और अपोजीशन पार्टीज से भी इस काम में मदद ले। हम लोग सन, मन, धन से सरकार की सहायता करेंगे।

दिल्ली आज देश का कैपिटल है, जनतन्त्रवाद का मन्दिर है, इस मन्दिर में हम बठे हैं। यह जम्हूरियत का मन्दिर है इसमें डालडा और कोटोजम आये यह शर्म की बात है। हम लोग जो रिफ्लेक्शमेंट के लिये जाते हैं तो हमको क्या मिलता है। हम को डालडा और कोटोजम का समोसा मिलता है और चाय का पानी मिलता है। आप क्याल कीजिये, हमारे यहां ओरिजिनल थिंकिंग कैसे कायम हो सकती है। क्या हम इस तरह से कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। आज सब से पहले कानून यह बनाया जाये कि पार्लियामेंट में कोटोजम और डालडा नहीं घुस सकेगा। दूसरे दिल्ली को जो देश की कैपिटल है, पाक किया जाये, उसमें से ऐडल्टरेशन को खत्म किया जाये और तीसरा काम यह है कि सारे देश में से इसे साफ किया जाये। यह टैस्ट है। अगर हमारे स्वास्थ्य मन्त्रालय ने यह काम कर लिया तब हम डिजर्व करेंगे कि इस देश के निर्माण करने वाले कहलायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का अनु-मोदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाये।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल हमारे मंत्रालय प्रधान मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा समाजवाद पर आधारित है, यह निश्चित है चुका है। लेकिन प्रश्न यह है कि उसको अमल में लाया जाये। प्रश्न है तेजी से, जल्दी से और ईमानदारी से उसको इम्प्लमेंट करने का। यह प्रश्न सारे देश के सामने है। कानून में संशोधन करने से या सजा की तादाद बढ़ा देने से, इन्स्पेक्टरों की संख्या के बजाये नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ा कर राज्य के बजाय केन्द्रीय सरकार के अधीन

कर देने से क्या यह इम्प्लिमेंट हो सकेगा, कानून का उपयोग हो सकेगा। मैं सरकार अदब के साथ जानना चाहता हूँ कि अब तक जो फूड ऐडल्टरेशन ऐक्ट रहा है उस के अन्दर उस ने कितनी कामयाबी हासिल की। सरकार की रिपोर्ट में है कि सजा की कमी के कारण उस के अन्दर कामयाबी नहीं हुई है। आप ने फिगर्स दिये हैं और बतलाया है कि क्यों अमेन्डमेंट करा रहे हैं। उस के अन्दर आपने लिखा है कि लोगों की राय है कि सजा बढ़ाई जाये। अब तक जो सजा दी वह दो वर्ष की थी। लेकिन उतनी सजा के अन्दर भी कितने मुकदमे चलाये गये। किस परसेन्टेज में बाजार में बिकती हुई अशुद्ध चीजों को शुद्ध करने में सफल हुए। अगर आप की असफलता हुई तो क्या उस का कारण है। क्या आप के पास कोई आंकड़े हैं कि कितने मुकदमे चले। अगर आप देखें तो जो आप के इन्स्पेक्टर हैं उन के मकानात जरूर दो चार बन गये होंगे, उन की जमीन ले ली गई होगी। उन का हर एक दुकान से दस रुपया, पन्द्रह रुपया, बीस रुपया, जैसी भी दुकान हो, बंधा रहता है। अब आप जो केन्द्रीय इन्स्पेक्टर मुकर्रर करने जा रहे हैं, उन का भी बंध जायेगा।

एक माननीय सदस्य : उन का ज्यादा बंद जायेगा।

श्री सिहासन सिंह : हां, उनका ज्यादा बंध जायेगा। तो इन्स्पेक्टरों के मुकर्रर कर देने से उनका केन्द्रीयकरण कर देने से, प्रदेशीकरण कर देने से क्या हमारे यहां चीजें शुद्ध मिलेंगी। आज हालत तो यह बन गई है कि इस देश में शुद्धता के नाम पर केवल शुद्ध शब्द ही रह गया है और दूसरी कोई चीज शुद्ध नहीं रह गई है। दुकानों पर लिखा रहता है कि यहां पर शुद्ध घी बिकता है जब कि वास्तव में उस तथा-

कथित शुद्ध घी में डालड़ा मिला होता है और पता नहीं और क्या क्या मिला हुआ होता है। उचित तो यह होता है कि इस के बजाय आप कोई ऐसा कानून लाते कि शुद्ध शब्द का लिखना ही बंद हो जाता। हम देखते हैं कि पवित्र भोजनालय यह शब्द लिखे होते हैं। मेरा कहना है कि उस में से यह पवित्र शब्द को मिटा दीजिये और खाली भोजनालय लिखिये। अग्रेजी में ठीक हो होटल या रेस्टोरेंट लिखा रहता है वहां यह प्योर शब्द नहीं लिखा जाता है। यह जो आप के यहां पवित्र और शुद्ध आदि शब्द लिखे जाते हैं तो यह शुद्ध के नाम पर घोखा हो जाता है। कहीं भी आप चले जायं, अपने घर में देख लें, आप यही पायेंगे। प्राइवेट दुकानदार मुनाफे के खयाल से शुद्ध को अशुद्ध कर के बेचते हैं लेकिन सरकारी तंत्र जो कि खाद्य पदार्थों का काम करते हैं वे भी इस बीमारी से अछूते नहीं बचे हैं। अभी हमारे माननीय मित्र श्री यशपाल सिंह ने ठीक ही बतलाया कि सरकारी तंत्र द्वारा इस सदन के अन्दर जो दूध, घी और दही आदि मिलता है और बाहर के लोगों को भी सप्लाई किया जाता है वह भी शुद्ध नहीं मिलता है। क्या उसके द्वारा लोगों को यह चीजें शुद्ध सप्लाई की जाती हैं? सरकारी तंत्र द्वारा जो इन चीजों की सप्लाई की जाती है तो उस का इन्स्पेक्शन कौन करेगा? मंत्री करेगा, सेक्रेटरी करेगा या कौन करेगा या उसका मैनेजर यह इन्स्पेक्शन करेगा? दिल्ली मिल्क सप्लाई वालों द्वारा यह जो दूध दिया जाता है, अखबार में मैं ने पढ़ा कि कई जगह दूध में मक्खी मिली, कीड़े मिले। पेपर में निकला है कि विटामिस की कमी को वाइड किया जा रहा है तो दूध में विटामिस की कमी हो जाती है तो क्या उन विटामिस की कमी को यह मक्खियां और इंसैक्ट्स को डाल कर पूरा किया जाता है? इंसैक्ट्स डालने से दूध विटामिनाइज्ड होता है या नहीं हो जाता है यह तो मैंणी महोदय,

[श्री सिंहासन सिंह]

खुद एक डाक्टर हैं वह इस बारे में ज्यादा समझ सकती हैं। बहरहाल मेरा कहना यह है कि सरकार के द्वारा जो जो वितरित होती हैं वह लोगों को शुद्ध मिलती हैं या नहीं उसकी उचित देख रेख का प्रबन्ध इस सरकार को अवश्य करना चाहिये अन्य लोगों का विश्वास पब्लिक सैंक्टर में से उठ जायेगा अगर पब्लिक सैंक्टर जो कि इन चीजों को वितरित करता है उस पर लोग उंगली उठाते रहे तो फिर आप प्राइवेट सैंक्टर को बिलकुल कंट्रोल न कर पायेंगे। कंट्रोल करने की आपकी मंशा भी नहीं मालूम होती है। जो आप सजा बढ़ा रहे हैं हर जगह लिखते हैं फॉर रीजेंस टु बी रैकार्डेड वह ६ महीने की सजा कर सकते हैं, आप उस को दो वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं, चार वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं अर्थात् ऑफेंस करते जाने की सहूलियत दे रहे हैं। पहला जुर्म कर लिया तो ६ महीने, दूसरा कर लिया तो डेढ़ वर्ष और तीसरा कर लिया तो तीन वर्ष और चौथा जुर्म कर लिया तो ४ वर्ष की सजा भी दी जा सकती है। जैसे जैसे अपराध करने का नम्बर बढ़ता जायेगा वैसे वैसे सजा भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। भला ऐसे भी कोई कानून बनता है? इस तरह से तो आप कानून को प्रॉग्रैसिव बना रहे हैं। मैंने पैनल कोड मंगा कर देखा। उसमें एक बार अपराध करने के बाद दूसरा अपराध करने के लिये केवल एक दफा है और वह ७५ दफा है। उसमें यह बतलाया गया है कि जो अपराध किया जाता है अगर उसे दुबारा किया जाय तो सजा दुगुनी हो जायेगी अर्थात् लाइफ इम्प्रजन्मेंट हो तो डैथ पैनलिटि हो जाय लेकिन यह आपने खूब कानून बनाया है कि वही अपराध एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार करने पर उसके हिसाब से सजा बढ़ायी चली जायेगी। जमाना बढ़ाने का प्राविजन रख कर तो आप एक तरह से अपराध करने वाले को अवसर लोगों को

प्रदान कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट को इस का अधिकार दे रहे हैं कि वह फौर रीजेंस टुबी रैकार्डेड, वह अगर चाहे तो मैजिस्ट्रेट न दे कर मिनिमम दे सकेगा। इस तरह से तो आप मजिस्ट्रेट को भी कम्प्ट करने जा रहे हैं। इसके द्वारा तो वह चौथे ऑफेंस वाले को भी ६ महीने की सजा दे सकता है जब कि आपकी मंशा है कि चौथे ऑफेंस करने वाले को ४ वर्ष या ६ वर्ष की सजा मिले। कौन रीजेंस होंगे जिनमें कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार आपने सजा कम देने का दिया है? यह चीज बिल में साफ नहीं है। मैं उस समिति में नहीं हूँ लेकिन जो उस समिति के सदस्य हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कानून में इस चीज को वाजे कर दें। अगर कानून ही अशुद्ध होआ तो फिर शुद्धना कहां से लायेंगे? इसलिए पहले तो हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि जो कानून हम बनायें उसमें लूपहोल्स न हों और वह साफ और शुद्ध कानून हो। मंत्राणी महोदय स्वयं एक डाक्टर हैं, उनकी स्वास्थ्य की हर बात की जानकारी है। सन् १९५४ में फूड एडल्टेशन एक्ट पास हुआ था। उस अवसर पर बड़ी लम्बी चौड़ी बहस हुई थी और उसके द्वारा बड़ी आशायें की गई थी कि लोगों को शुद्ध भोजन आदि मिल सकेगा लेकिन वह आशाएं अभी तक भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सर्वत्र मिलावट का जोर है। मिलावट के कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। सरकार को अपने जिम्मेदार अफसरों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिये कि वे ईमानदारी और सत्ती के साथ अपने कर्तव्य को निबाहें। अगर अधिकारीगण सत्ती के साथ ब्लैक-मार्केट और मिलावट करने वालों के साथ पेश आयें तो कोई कारण नहीं है कि उनकी हरकतें बंद न हों जायं। चीनी के बारे में हम ने देखा कि चीनी बाजार में यकायक ग्रायब हो गई, जनता को चीनी मिलना;

Bill

मुश्किल हो गया, किमी भी दुकान पर आप चले जाइये यही जवाब मिलेगा कि चीनी नहीं है लेकिन यहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सख्त क्रदम उठाया और अखबार में उन्होंने चीनी बिक्रेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दो दिनों के अन्दर अन्दर सारी छिपी हुई चीनी बाहर नहीं निकाल दी तो उनकी दुकानों घरों और गोदामों आदि की तलाशी ली जायेगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। एडमिनिस्ट्रेटर के इस सख्त क्रदम और अखबार में चेतावनी निकालने का फल सामने दिखाई देने भी लग गया है। मैं स्वयं बतलाता हूँ कि अभी परसों जिस दुकानदार ने मुझे कह दिया था कि उस के पास चीनी नहीं है आज इस चेतावनी के बाद जब मैंने चीनी को पुछवाया तो उसने कहा कि मैं अभी चीनी भेजता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर की यह चेतावनी काम कर गई है कि अगर दो दिन के भीतर भीतर चीनी के दुकानदारों ने अपनी होर्ड की हुई चीनी को बाहर नहीं निकाला तो उनकी दुकानों, गोदामों और घरों की जबर-दस्ती तलाशी ली जायेगी। इस लिए सवाल आज कानून बनाने का उतना नहीं है जितना कि उसको मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने का है।

पेनैल कोड में दफा २७२ से २७३ तक फूड ऐडल्ट्रेशन के सम्बन्ध में है। पुराना १८६० का कानून चला आ रहा है, कोई नया कानून नहीं बन रहा है। कानून काफ़ी बने हुए हैं। आज जरूरत उन पर सख्ती से अमल कराने की है। देखा यह जा रहा है कि हम जितने कानून बनाते गये, बढ़ाते गये करप्शन उतना ही बढ़ता गया और उसका कारण जैसा मैंने बतलाया नॉन इम्प्लीमेंटेशन का है। आप अपने इंसपेक्टरों की माली हालत को देखें कि कहीं उनकी हैसियत उनकी पे के हिसाब से कहीं अधिक बड़ी तो नहीं हुई है। उन के काम की आप जांच करें और हर छटे महीने

या साल भर में इसको देखें कि उन्होंने कितने केसेज का चालान किया और उन का क्या नतीजा हुआ। कितने केस उनके द्वारा पकड़े गये और उनका जा कर क्या नतीजा हुआ। अगर किसी इंसपेक्टर की फ़ाइल को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं मुश्किल से किसी गरीब शख्स को उन्होंने पकड़ा होगा, किसी धनी मानी को कभी उन्होंने नहीं पकड़ा होगा। उन्होंने किसी होलसेलर या मैनूफैक्चरर को नहीं पकड़ा होगा। आप के पास आंकड़े होने चाहिये कि आपके इंसपेक्टरस ने कितने होलसेलर्स और मैनूफैक्चरर्स को प्रासीक्यूट किया। उनके सम्बन्ध में मैं जानता हूँ आपके पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। आपके पास अलबत्ता कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य होंगे कि एक गरीब छोटा दुकानदार जो कि अपनी दुकान पर बीड़ी बेचता है उसे इंसपेक्टर ने मिलावट के आरोप में पकड़ लिया है और उस पर यह जुर्म लगाया गया कि वह मिलावट वाली चीज बेच रहा था। लेकिन उन्होंने किसी बड़े आदमी को जो कि थैली मार सकता है उसको पकड़ा नहीं होगा। आप इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दो तरह के इंसपेक्टरस मत बनाइये। चाहे आप सेंट्रल इंसपेक्टर रखिये चाहे प्राविशियल इंसपेक्टर रखिये लेकिन दोनों को मत रखिये। दो इंसपेक्टरों अर्थात् सेंट्रल और प्राविशियल रखने से आपस में एक बेकार में तनाव पैदा होगा, उनके काम का ऐरिया डिफ़ाइन करना होगा और बेकार में दोनों में आपस में फर्क बढ़ेगा। जाहिर है कि सेंट्रल के इंसपेक्टर की पे ज्यादा होगी और प्रदेश के इंसपेक्टर की पे कम होगी। सेंट्रल वाला अच्छी नजर से देखा जायेगा क्योंकि वह बड़ा इंसपेक्टर है और प्रदेश का छोटा इंसपेक्टर होगा। इसलिए यह छोटे और बड़े इंसपेक्टर का भेदभाव एक ही नगर में मत रखिये और यह दो तरह के इंसपेक्टर मत रखिये। यह बड़े इंसपेक्टर साहब हैं इनके अधिकार

[श्री सिंहासन सिंह]

ज्यादा है, इनका भाव ज्यादा है और यह छोटे इंस्पेक्टर हैं यह कम पर ही मान जायेंगे, इस तरह की गड़बड़ी पैदा होने की गंजाइश मत रखिये। यह भी कानून आप पास कर लें लेकिन जरूरत आज कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की है। मैं डा० सुशीला नायर से अपील करना चाहता हूँ कि वे इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि कम से कम इस दिल्ली नगर में ६ महीने के अन्दर अन्दर वह ऐसा इंतजाम कर देंगी जिससे कि लोगों को शुद्ध चीजें खाने पीने आदि की मिल सकें और यह मिलावट का रोग यहां से खत्म हो जाय। मंत्राणी महोदया को इस के लिये ब्रत धारण करना होगा और थोड़ा कष्ट उठाना होगा। केवल कानून बनाते जाने से और हमारा साधुवाद लेने भर से काम नहीं चलने वाला है।

इस बिल की दफा १४ में आप ने यह भी प्राविजन रक्खा है कि अगर कोई यह कह देवे कि हम नहीं बेचेंगे, फ़लांन बेच रहा था, उसको ले आया जाय तो हम छूट जायेंगे। इस तरह से डिफेंस का मौका आपने अभियुक्तों को दिया है। मेरा कहना है कि यह डिफेंस का मौका मत दीजिये। पैनेल कोड में डिफेंस बतौर ऐक्स-प्लान्स के दिया है। यहां आप डिफेंस का मौका न दीजिये। यह काम हम वक़ीलों के ऊपर छोड़ दीजिये। हम जैसे करना होगा उनको डिफेंस कर लेंगे लेकिन आप अपनी तरफ़ से उनको डिफेंस का रास्ता मत बतलाइये। जैसा कि अभी कल माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट के कांग्रेसी मंत्रियों के सामने कहा कि वह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ़ ज्यादा ध्यान करेंगे, वह देखेंगे कि देश से गरीबी दूर हो, चीन से अपने प्रदेश को पुनः वापिस लेने के लिए अगर युद्ध अनिवार्य हो गया तो उस के लिए तैयारी करेंगे, वहां में अपनी स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया से यह अपील

करूंगा कि वे इस मिलावट के रोग से और स्वास्थ्य की बिगाड़ने वाली तमाम असामाजिक शक्तियों से लड़ाई करें अन्यथा यह एक के बाद एक कानून पास करते जाने से कुछ नहीं बनेगा और सिवाय सदन का समय नष्ट होने के और कुछ भी नहीं होने वाला है।

Shri Tridib Kumar Chaudhuri (Berhampur): I am afraid I cannot join in the chorus of welcome that has been accorded to this Bill. It passes my comprehension how a Government which keeps this Bill pending for two or three sessions and comes with a solemn declaration in the Statement of Objects and Reasons could bring forward such a supercilious and tinkering measure and ask us seriously to commit this measure to a Joint Committee of both the Houses, in order to properly streamline the working of the Act.

As a matter of fact, the provisions of the Bill are such that the declared objectives would not be achieved at all. What are the major objectives? They are only two and are stated in the Statement of Objects and Reasons, firstly that the penal provisions should be made more deterrent, and secondly that there should be centralisation of the administration of the Prevention of Food Adulteration Act. I make bold to say that neither of these two objectives can be secured by the provisions of the Bill as they have been formulated.

We are told that the Central Council of Health at its meeting held in October, 1960 recommended that the penal provisions of the Act should be made more deterrent, and the services of the food inspectors instead of being left to remain under the local authorities should be provincialised. Here, we only find that power is taken

under clause 4, for the Central Government to appoint some inspectors. Really, if Government had taken the recommendations of the Central Council of Health with any degree of seriousness and accorded to them the importance that they deserved, they should have looked to section 9 of the existing Act and especially to rule 8 of the Prevention of Food Adulteration Rules prescribing the qualifications for food inspectors. A lot of things was said on this point by other hon. Members. They had pointed out how much of money these food inspectors had earned illegally, how many of them had built houses and purchased cars and so on. As regards their qualifications, unless we prescribe proper qualifications for the food inspectors, and unless we appoint such people as can generally supervise the administration in a central manner whether on a State basis or on an all-India basis, howsoever deterrent the punishment may be or the penal provisions may be, nothing will be achieved. In rule 8 to which I have just referred, we find that a person shall not be qualified for appointment as food inspector unless he is a medical officer in charge of the health administration of a local area. Every municipality and every corporation has a medical officer in charge or a health officer or some such officer, and he can be appointed as a food inspector. He is generally a graduate in medicine or a licentiate in medicine. But sub-rule (3) of these rules is important, because it makes the appointment open to the holder of a qualification in sanitary science, registerable as an additional qualification by the State medical councils. By virtue of this rule, a class of very low-paid officers has been created who are known all over the country as sanitary inspectors. It is really the sanitary inspectors who have been charged with the administration of the Prevention of Food Adulteration Act. When you vest the power to enforce these penal provisions, in the hands of these people, you can easily imagine how the cadres of this inspectorate get corrupt. I would submit

that we must have properly qualified men who must have been trained in nutrition science, or who must be at least graduates in chemistry, if not in medicine in every case, and there must also be proper centralisation not only on the State basis but also on the all-India basis. I do not mind if the local bodies and panchayats in the rural areas appoint sanitary inspectors, but there should be some kind of supervisory staff over them, either from the side of the State Government or the Central Government, but unfortunately, we find that no such provision has been made in the present Bill. So, what is the use of merely increasing the punishment?

Shri Bade: He is the inspector of the sweepers.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: He does so many other things also. But he has power in his hands to send a man to prison if he likes. My hon. friend Shri Bade knows as a lawyer how in thousands of cases in the mofussil courts, these cases under the Prevention of Food Adulteration Act are bailed out . . .

Shri Bade: And fail miserably also.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: . . . and how the administration fails miserably in enforcing these penal provisions. So, it is no use merely increasing the punishment. Some attention should be given to the question of prescribing proper qualifications also. The hon. Minister should consider whether she cannot take up this thing and see that proper and adequate qualifications are prescribed for these food inspectors as will prevent any unqualified person on a very low salary being employed as a food inspector. That aspect must be guarded.

Now, I come to the penal provisions, contained in clauses 7 and 8 of the Bill, which relate to sections 16 and 19 of the parent Act. Government perhaps feel that because the punishment has been made more deterrent, the defence allowed to the accused should be somewhat lenient. Clause 8 provides that the following defence

[Shri Tridib Kumar Chaudhuri]

should be available to the accused vendor, namely that he did not know and could not with reasonable diligence have ascertained that the article of food was adulterated or misbranded. I wonder whether this term 'with reasonable diligence' had been properly vetted by the Law Ministry and by other people competent to pronounce an opinion on these things. This phrase will at once open the door wide open for escape. It is almost an escape clause.

Shri Bada: The word 'diligence' is a very loose word.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Both the words 'diligence' and 'reasonable' are such. The word 'reasonable' makes it justiciable. As regards 'diligence', we have not defined this term in the parent Act. I wonder how the draftsmen of the Law Ministry could have passed this expression in the Bill. I hope that the Joint Committee will look into the whole thing and redraft it properly.

I have another caveat to enter regarding the penal provisions. The punishment may be made more deterrent, but the point is one of implementation and enforcement of the provisions. Unless you do that, nothing will be achieved. I say this in all seriousness because I happen from West Bengal. The first Chief Minister of West Bengal in independent India is widely believed to have lost his job because he set about making a determined drive against food adulteration. The story goes that he caught in Burra Bazaar area three truck loads of tamarind powder which was used for mixing with atta flour. Within a month of the day the search was made, he lost his job. Even the *Statesman*, the representative of British imperialist interests was forced to comment that a good man had gone. So, do not get away with the idea that by merely taking the power of appointing inspectors by the Central Government, you are going to achieve anything. The whole

Act should be re-examined to see how the administration part of it is properly centralised in the sense in which the Planning Commission asked you to centralise the administration of the Act. Unless you do that, nothing will be achieved. I hope the Government, if not in this Bill, at least in some subsequent Bill, will take care of that aspect of the matter.

Mr. Deputy-Speaker: What time will the hon. Minister take for reply?

Dr. Sushila Nayar: About 20 to 25 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: She will be called at 4.40.

Shri Hari Vishnu Kamath: We began at 2.20 I think.

Mr. Deputy-Speaker: We began at 2.05.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विल मंत्री जी ने पेश किया है उसका सब ने स्वागत किया है। वह स्वागत योग्य जरूर है, परन्तु जिस समय हमने १९६४ में ऐक्ट पास किया था उस समय यह आशा की गई थी कि इस ऐक्ट के पास हो जाने के पश्चात देश में जो खाद्य पदार्थ होंगे वे हमें अच्छी हालत में मिल सकेंगे। आज हालत यह है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दबा की। हम ने ऐक्ट पास किया लेकिन उसके बाद जो भी हमारे खाने का चीजें हैं उनमें मिलावट बढ़ती गई। इसके लिये भी सरकार ने दो इलाज हमारे सामने रखे हैं। एक इलाज तो यह रखा कि इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाये और दूसरा इलाज उन्होंने यह रखा कि इस वक्त जो सजायें लोगों को दी जाती हैं वे बढ़ा दी जायें। लेकिन जैसा मुझ से पहले वक्ताओं ने कहा यहाँ हालत दरअसल यह है कि आप सजायें भी बढ़ा दें, आप सेंट्रलाइज करने के लिये भी कदम रहे हैं लेकिन सेंट्रलाइज करते

Bill

करते आप इस का वाइफेक्शन कर रहे हैं। आपका प्लैनिंग कमिशन आप से कह रहा है कि इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाये। आप आधा हिस्सा इसका सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और आधा हिस्सा स्टेट पर छोड़ना चाहते हैं।

यहां पर जब भी स्टेट के मुताल्लिक कोई जिक्र आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है, हम क्या कर सकते हैं, स्टेट वाले जानें। इस में जिम्मेदारी किसी की नहीं रहती। या तो किसी चीज की जिम्मेदारी सेंटर ले ले या पूरी जिम्मेदारी स्टेट पर छोड़ दे। अगर आप को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है तो स्टेट की जिम्मेदारी हटा दीजिये और अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लीजिये ताकि आप सं पूछने वाले हम रहें कि जो ऐक्ट आपने पास किया था उसका इम्प्लिमेंटेशन कैसा चल रहा है। वरना हम को आप की तरफ से एक जवाब मिलता है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, यह स्टेट की जिम्मेदारी थी। इसलिये मैं समझता हूँ कि प्लैनिंग कमिशन ने जैसा रिक्मेन्ड किया है, जिसको आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा है, ज्वॉयेंट कमेटी को मान लेना चाहिये कि आप को पूरा अख्तियार होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर होनी चाहिये, इसको स्टेट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये।

15.34 hrs.

[SHRI SONAVANE in the Chair]

दूसरी बात जो हम आज देख रहे हैं वह यह कि कोई भी चीज हो वह वगैर मिलावट के नहीं है। आज आप ने शुगर का कंट्रोल करके रखा हुआ है, कीमतों पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन आज जो शुगर पंजाब के गांव गांव में जा रही है वह इतनी बारीक होती है कि जिसका ठिकाना नहीं है और उसमें रेत होती है। आप उसको

783 (Ai) LSD—7.

दूध में डालिये तो थोड़ी देर के बाद उसमें जो कुछ होता है वह बच रहता है और आपको नीचे बैठे हुए मिला जायेगा। चाहे आप की शुगर हो, चाहे तेल हो जो कि कोल्ड से निकलता है, उसमें भी मिलावट कर दी जाती है। उससे मौखें हुई हैं शिमले में, कुछ सालों में ऐसा जिक्र है। इस किस्म की चीजें खूब चलती हैं। जिस वक्त १९५४ में यह ऐक्ट चल रहा था पार्लियामेंट में, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि ऐट बि सौस, जहां से चीज चलती है, इसको पकड़ने की कोशिश की जाये। आप वहां से इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो छोटे छोटे आदमी हैं, जो छोटे दूकानदार हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं।

मैंने एक दफे एक क्वेश्चन भी किया था कि आपका जो सन् १९५४ का ऐक्ट है उसके मुताबिक दो तीन सालों के फिगर्स बतलाइये कि आपने रिटेलर्स के कितने चालान किये हैं और उन में से कितनों को सजायें हुई हैं और होलोसेलर्स और मिलभोनर्स जो हैं, उन में से कितनों के चालान हुए और कितनों को सजायें हुईं। आप की तरफ से इस तरह का जवाब आता है कि चूंकि फिगर्स कलेक्ट नहीं हो सकते इसलिये मेरा सवाल ऐडमिट नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि यह देश की हेल्थ का माला है तो क्या आप इसके लिये सख्त से सख्त सजायें देने के लिये तैयार हैं। जहां आप से इसके बारे में सवाल किया जाता और फिगर्स मांगे जाते हैं तो आप उनके फिगर्स को कट न करके कहते हैं कि चूंकि इसमें खर्च बहुत आयेगा इसलिये उनको कलेक्ट नहीं किया गया।

आज तो सब जगह पर इन्स्पेक्टरों का राज हो चुका है। आप देखिये कि आज इन्स्पेक्टर कितने हैं। दूकानदार लोग भी कहते हैं कि आप जरा इन्स्पेक्टरों की गिनती तां कर लीजिये। वेट्स इन्स्पेक्टर है, फूड इन्स्पेक्टर है, क्राइम्स इन्स्पेक्टर है,

[श्री हेमराज]

सेल्स इंस्पेक्टर है। जितने भी दूकानदार हैं उन को सब इंस्पेक्टरों को देना होता है कुछ न कुछ, वना दूसरे रोज वे आ कर बैठ जाते हैं। इस इंस्पेक्टरों के राज को आप को खत्म करना चाहिये। इतने ज्यादा इंस्पेक्टरों की जरूरत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टरों की तायदाद इतनी ज्यादा है कि छोटे से छोटे दूकानदार को देते देते अपना घर खाली कर देना होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप सेंटर के जिम्मे इस को रखना चाहते हैं तो सेंट्रल इंस्पेक्टर रखिये। स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे इस को न छोड़िये।

फिर जो आपने क्लाज ५ रक्खा है, मैं समझता हूँ कि उसमें यह जरूर होना चाहिए कि जिस वक्त आप किसी का चालान करें उस वक्त जो लोकल आदमी हों वह जरूर जाजिर हों ताकि वह कह सकें कि हमारे सामने यह चीज की गई थी। मैं समझता हूँ कि इस में "शैल" का लपज रहना चाहिये। जो लोकीलटी के आदमी हों, म्यूजिसिपैलिटी वर्ग के या गांव के, उनको वहां होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी चीज ठीक होने वाली नहीं है। जैसा श्री सिंहासन सिंह ने कहा, चाहे छोटे पटवारी हों, चाहे इंस्पेक्टर हों, अगर उनके घरों को आप देखेंगे तो पायेंगे कि उनके घरों में सभी कुछ मौजूद है। आज २०० रु० या १,००० रु० पाने वाले के घर में भैंस नहीं पल सकती, वह रेडियो नहीं रख सकता, लेकिन जो ५० रु० पाने वाला इंस्पेक्टर है उसके यहां रेडियो जरूर होगा, उसके यहां भैंसें जरूर पली होंगी। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, आप सख्त से सख्त कानून बना लीजिए लेकिन वह चलने वाला नहीं है। करप्शन इतनी दूर तक चल गया है जिसका ठिकाना नहीं है। लेकिन उसको किसी तरह रोकना मुमकिन नहीं हुआ है। मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह जी भी वकील हैं और मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, लेकिन अगर कानून के लिहाज

से देखा जाए तो साफ मालूम होगा कि यहां के कानून पोथियों में ही पड़े रहते हैं, उन पर कोई अमलदरामद नहीं होता। जो कानून प्रयोजों के वक्त में थे उनका अमलदरामद अच्छा चलता था, इसलिए पुलिस को डर था कि हमने कोई खराब काम किया तो सजा मिलेगी। लेकिन आज तो मालूम होता है कि कोई कानून ही नहीं है। यहां से कोई पकड़ी गया कि टेलीफोन आ जाता है कि भाई यह तो हमारा आदमी है, और वहां चालान खत्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि बीमारी नजदीक की नहीं है, यह बड़ी दूर की है। इसमें तो आप का एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रखना होगा ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पालियामेंट के सामने जवाब देह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए कि आप कह सकें कि चूँकि यह स्टेट का मामला है इसलिए हम दखल नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि अगर उस लिहाज से आप इस कानून को बनाते तो ठीक रहता लेकिन यह जो आप एक छोटा सा अर्मेंडमेंट बिल लाए हैं यह काफी नहीं है। इसको अगर आप ने सेलेक्ट कमेटी को ही देना था तो पूरा एक कन्प्रो-हैसिव कानून लाते और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का लिहाज करते हुए इसको और अधिक वसीय करके फिर आपको इस कानून को पालियामेंट के सामने लाना चाहिए था। मैं इन शब्दों के साथ आपने यह जो अर्मेंडिंग बिल पेश किया है उसको सपोर्ट करता हूँ लेकिन मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको और वसीय करने के बारे में सेलेक्ट कमेटी में गौर करें वरना देश में यह जो बीमारी भयंकर रूप में फैली हुई है वह दूर होने वाली नहीं है। वह एक ही सूरत में दूर हो सकती है कि इस की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

Shri A. N. Vidyalkar (Hoshiarpur): Mr. Chairman, Sir, like other

**Adulteration (Amendment)
Bill**

friends although I am supporting the Bill, I am doubtful whether it will succeed in its purpose. In fact our thinking is on the same routine lines. We are providing for more deterrent punishments and instead of allowing local authorities to exercise power of appointment of inspectors, now we will assume those powers. But does our experience show that the inspectors working under the Centre are working very vigorously, successfully and honestly? Is the Central administration such that no one can question or doubt its capacity and purpose? The whole House is worried about this. We want improvement and efficiency in our administration. I expect even now that our Health Minister just as our Home Minister has promised that he would root out corruption within two years, would effectively deal with the problem of adulteration. It is a social problem; it cannot be rooted out merely by making laws. By centralising administration I am afraid, adulteration would also be concentrated around the Centre. Those who are small producers now indulged in acts of adulteration. Now this will be done by bigger people who could function at a central level. In Rāmāyan it says:

जस जस सुरक्षा वदन बढ़ावा, तामु दिगुण
कपि रूप दिलावा ।

Just as the demon extended its form Hanuman also extended his body not only to match hers but in double proportion. By this centralisation, adulteration would also be centralised and it will assume similar proportions and similar scale. That is not the solution of this problem.

श्री श्रीकार लाल बेरवा : हाउम में इस
समय कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: The Bell is rung—now there is quorum.

Shri A. N. Vidyalankar: We should arouse public conscience and public

opinion. We have not made any efforts to do that. We have to educate the people. Democracy depends upon education of the people. Our people should be prepared to fight against this evil of adulteration. Government and people should fight corruption and adulteration. How many publications have been brought out for this specific purpose by the Health Ministry? How far public support had been obtained. How far have they appointed local committees? You go on appointing inspectors. My friends have already talked about the inspectors. People know what these inspectors are. One of the hon. Members stated here that each inspector gets every month his fixed money quota from each shop. What have we done to prevent this? You should have done something to prevent this. In this capitalist society, everybody works with profit motive. The present problems are inherent in a capitalist society. Unless we adopt very strong measures and methods, the problem cannot be solved. This is not the proper way. I agree with what Mr. Hem Raj has stated.

In 1954 I was also a Member of this House and in the Select Committee on this subject I also made some contributions. At that time also we were told that after this Bill was passed everything would be improved but our expectations had been belied and we have not succeeded. Government should be firm and they should do something. Some other method should be applied.

Instead of appointing an inspector, I would say that public men should be given authority and power to dispose of complaints. Just as honorary magistrates used to be appointed. Respectable local people like mayors, presidents of municipalities, etc. should be given power and authority to deal with complaints of adulteration summarily. In such a way, you will be associating the public with this and then only your legislation would be successful.

[Shri A. N. Vidyalkar]

At present mostly the retailers are challaned. Often they get these things from the wholesalers and manufacturers who are not touched. Only the retailers are touched. Sometimes the retailers complain that inspectors pick up samples from their shops and they were challaned. Even if they sold packed articles and revealed that they had received such articles from the manufacturers, nobody cares to enquire from the manufacturer or the wholesaler. Generally the retailers are not responsible. So, I submit that genuine people should be given all protection. Only those who are real culprits should be challaned. But your inspectorate will not succeed in doing this. As I said, the inspector raj cannot save us. In a democracy, the whole people should be vigilant. The spirit of vigilance should be created among the public. That side is being neglected in our administration. The public education should not be neglected. The association of the public with the administration can alone solve the problem. Neither your legislation nor your Inspectorate would be able to do much. You may pass this amending Bill and thereafter you may go on changing the law but your expectations are not going to be fulfilled through this process.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I am glad that Dr. Sushila Nayar has been able to find time to introduce this Bill in this session. She is the Minister of Health and nothing contributes to health more than food. As regards production of food, I do not hold her responsible for it; it is the responsibility of some other Minister, the Minister of Agriculture. But she is responsible for whatever little food is there to meet the hunger of millions of the people in this country. At least that food should be pure. That responsibility she has to take up and discharge.

My hon. friend, Prof. Sharma began his speech with the statement, "Would

this stop adulteration?" I only want to give him this reply: No Bill by itself does anything at all. That is one thing. Secondly, the motion before the House is for referring the Bill to a Joint Committee. It is the duty of the Joint Committee to find out if there is something wanting in the Bill and to make it more effective and more practical. The Joint Committee should make a proper recommendation. This Bill is simply for referring the Bill to the Joint Committee. I am glad that Dr. Sushila Nayar, the Minister of Health, has not come with a motion to get this Bill passed hurriedly by the House. She has given enough time for the members of the Joint Committee to look at the various points and make it more effective. It is the duty of the Members of the Joint Committee to take this opportunity to furnish the country with a measure which shall be not a mere law on paper but an effective measure. They should try and bring out a measure which shall be a contribution to the solution of the problem before the country.

Reading the statement of objects and reasons, I found two things, which are very important. It says that the machinery provided by the old Act is inadequate and therefore the results that were expected of the old Act have not come. Now the object is to see that an adequate machinery is provided to carry out the measures provided by the law. The second object is that punishments which have been provided in the old Act were found to be not very effective, and so more deterrent punishments are to be recommended. I was told that some of those persons who indulge in adulteration are fined a few rupees. They make such huge profits by adulteration, and a fine of a few rupees is, therefore, a very easy thing for them to pay off and carry on the nefarious profession. So, for an offence of this kind, the punishment must be very deterrent.

In fact, I might say that I look upon the adulteration of food as serious an offence as poisoning of food. What is

Bill

adulteration? It is to introduce into food some substance which is not food and ask the people to take in the name of food something which is not food. It is really poisoning of food. That is the gravity of the offence. Without food, no man or woman can live. So, adulteration of food is an offence against every man and every woman. So, considering the enormity of the offence, the punishment should be more deterrent.

But the thing which struck me most is that the Bill proceeds from certain recommendations. That is very good. The recommendations indicate that the local bodies have not been able to implement the old Act, and therefore, it is no use keeping the power of implementing this measure in the hands of the local bodies wholly. Then the recommendation of the Planning Commission is that the whole thing be centralised. I think it is a very serious affair. In this House, most of the Members are champions of decentralisation. In fact, the district councils, the panchayats and all these things have come in because it is believed that it is decentralisation alone that can give the real content to the democracy for which we stand. Yet, those who have experience of the working of these local bodies feel that this is a responsibility which cannot be kept solely in their hands. That is an important thing which we have always to bear in mind. This important work, the proper carrying out of which concerns the life and health of the people of the country, cannot be left in the hands of those bodies which are concerned only with the administration of a very small region. We cannot entrust them with the implementation of a measure, the proper carrying out of which, the administration of which concerns the life and health of the whole nation. So, I want that the changes that are proposed here are such as to keep the implementation of this Bill free from the hands of the local bodies.

16 hrs.

Then, coming to the question of entrusting this work to the State Gov-

ernments, not only in this matter but as regards agricultural reform, land reform and other matters for which we consider the State Government to be the proper body to be entrusted with, the complaint has always been that we have not reached our target because of want of co-operation, proper help and assistance from the various State authorities. Therefore, we find decentralisation has not been a success in such matters. It has not resulted in real effective work for the good of the people. Bearing all these facts in mind, so far as the working of this Act is concerned, I think it should be left to a service of inspectors, properly educated and trained, imbued with a sense of responsibility and supervised by the highest body in the country, namely, the Central Government. If that is done, if they are chosen by the Central Government and they are properly trained, there is a chance of this Bill slowly working and eliminating the evil of adulteration. That is the submission that I have to make.

Here I will narrate my experience. When I was a boy, coming out of the college, in the year 1913-14, I was thinking of good public life, patriotism and all that sort of thing. My countrymen were preparing, as patriotic people of every country should, for the independence of our country. One day it so happened that I had to go to a particular place, which was the place of my father in law. On the way, I had to stop at an intermediate place. I stopped there with a friend. He took me to the market. Since there was a crowd in the shop, we could not talk there and he took me behind. There I found 10 to 12 women sitting and making some kind of selections of small stones, big stones and so on. I came out and asked my friend what it was for. Then he told me the story. There is a small stream, on the banks of which are found small, white tiny stones. They collect them. What do they do with them? They take them to the market and categorise them according to their size. The best kind of rice in

[Dr. M. S. Aney]

Vidarbha comes from there. In that market they mix these stones in every gunny bag of good rice and it goes to the mofussil as the best rice. I was surprised to hear that. He could not say how it is allowed or permitted but he said, that is a regular business. I was told that it is a universal practice, there is hardly a merchant who does not know something like that.

This is a national calamity which should be put a stop to by the sternest measures possible. So, the administration of it should be left in the hands of honest, loyal and patriotic citizens. If you do it, I am sure before long the inspectors will be in a position to corner these people and in course of time destroy them.

श्री ओंकार लाल बोरवा : सम्भाषित महोदय, यह जो खाद्य पदार्थों में भिलावट को रोकने के बारे में बिल आया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में सबसे पहले दोष सरकार का ही है। जनता सरकार को दिखाए हुए पथ पर चलती है। जब से आजादी मिली है तब से भिलावट का ही बोलबाला है। यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। मैं मंत्राणी महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज से आठ नौ महीने पहले इसी दिल्ली शहर में एक लाख तेरह हजार रुपये की पिसी हुई हल्दी जोरफिक भिलावटी थी, पकड़ी गई थी, फैक्ट्रीज के अन्दर पकड़ी गई थी। उसको खाने से आदमी बीमार हो जाता था और चक्कर आकर गिर जाता था। यह चीज अबबारों के अन्दर भी आई थी। उस वक्त यह कहा गया था कि इसको फिकवा दिया जाएगा, इसको दूकानों में नहीं बेचने दिया जाएगा। उस हल्दी का क्या हुआ है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। उसको अगर यमुना नदी में बहा दिया जाता तो आज नदी का पानी नीला नहीं, पीला नजर आता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसको न फिकवाया गया

और न ही नदी में बहाया गया। वही हल्दी दिल्ली की जनता को खिलाई गई जिसका बहुत बुरा असर लोगों पर पड़ा। यह सब कुछ हो गया लेकिन हमारी मंत्राणी जी के कानों पर जूँ तक न रेंगी।

भिलावट बन्द करो का नारा सब से पहले हमारी सरकार लगाती है लेकिन सब से पहले भिलावट वह खुद करती है, वह भिलावट करना सिखाती है। तब यह भिलावट का रोग कैसे दूर हो सकता है। मोने में तांबा यह धरती है, तब भिलावट कैसे रुक सकती है। जब यह खुद भिलावट करती है तो क्या इस पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। जब यह लोगों को खुद भिलावट करना सिखाती है तो यह कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है?

जब कभी कोई छापे भारे जाते हैं गरीब भ्रातृमियों की दूकानों पर ही मारे जाते हैं। जो दूकानदार मूंगफली का तेल बेचता है या कोई और चीज बेचता है, उसको छापे मार कर पकड़ कर ले जाती है। यह बड़े दूकानदारों की दूकानों पर छापे नहीं मार सकती है क्योंकि उनके द्वारा इसको चुनाव लड़ने के लिए रुपया मिलता है। अगर किसी फैक्ट्री के मालिक ने चन्दा नहीं दिया तो डिब्बा गोल है। वहीं पर यह छापे मारती है जहां पर तेल, तम्बाकू आदि बिकता है, छोटे दूकानदारों की दूकानों पर ही यह छापे मारती है।

इन्स्पैक्टर्ज का हाल क्या है, इसको भी आप देखें। यह मैं मानता हूँ कि इन्स्पैक्टर्ज को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वह अपना तथा अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन होता क्या है? उच्च अधिकारी सांठगांठ किए रहते हैं और सांठगांठ के कारण ही सारा अड्डाचार होता है। एक कहावत है।

इंद्र साज बाजा क्या बिगड़ा, बिगड़ गये सब साज
हमारी गति उलटी भई कैसे आज
उलट गया सब राज
हमारी गति आज यह हों गई है कि जिस काम को अच्छा समझ कर करते हैं, उसके ही बुरे नतीजे निकलत हैं। आज हर जगह पर मिलावट है, हर वस्तु में मिलावट है। चीनी को ही आप ले लें। इसकी तीन क्वालिटीज होती हैं, ए, बी और सी। तीनों के अलग अलग रेटस हैं। देते तो सी क्वालिटी की चीनी है लेकिन रेट बी का लगा करके लोगों से वसूल कर लिया जाता है।

एक बहुत बड़ी मिलावट है जिसकी बात मैं आपका बतलाना चाहता हूँ। टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसने कहा है कि एक साल के अन्दर १३० करोड़ रुपये की शराब बिकती है। इसमें से ७२ करोड़ रुपये की शराब तो सरकार बेचती है और ५८ करोड़ रुपये की शराब बनावटी बिकती है जिसे जनता पीती है। गरीब आदमी उसको पी करके मारा जाता है, मजदूर वगैरें मारा जाता है। खाली स्पिरिट पिलाई जाती है उसको। इस्पेक्टर जो होते हैं वे ऊपर से दबे होते हैं। एक एक शराब वाले की दूकान से दस दस और बीस बीस हजार रुपया इलैक्शन लड़ने के लिए लिया जाता है। जब इस तरह से उनसे चन्दा लिया जाता है तो कैसे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? स्वास्थ्य मंत्राणी जी हिम्मत करें तो मेरे साथ कोटा चलें जो राजस्थान में है। वहाँ पर मैं उनको कितनी ही दूकानें ऐसी पकड़वा दंगा जहाँ पर कि खाली स्पिरिट बिकती है। आज अहमदाबाद की यही हालत है, बम्बई की यही हालत है, जहाँ पर कि खाली स्पिरिट बिकती है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहती है। वह कहती है कि मिलावट नहीं होनी चाहिये लेकिन मिलावट ही होती है। अगर

किसी को दंड भी दिया जायेगा तो क्या होगा। अगर किसी ने मिलावट करके १,००० रु० पैदा कर लिया और उसमें से १०० रु० दे भी दिया तो उसका क्या बिगड़ा। वह और आगे भी चलेगा। आपने तीन क्वालिटीज लिख दीं जिनमें दंड दिया जायेगा। मगर अगर एक इन्सान ने १०,००० रु० की चोरी की और १,००० रु० दान कर दिया तो इसको क्या कहा जायेगा? यह चीज दंड में तो शामिल नहीं होगी, यह तो पुण्य के अन्दर शामिल होगी। यह हमारी सरकार है, जो बड़े बड़े पंजीपति हैं, मुनाफाखोर हैं उनको प्रोत्साहन देकर, जनता का खून चुसवा कर चन्दे बे: रूप में उन से पैसे लेती है। वह उनको दंड कैसे दे सकती है? कभी नहीं दे सकती और बेचारे इन्स्पेक्टरों को बदनाम करती है, और कहती है कि उनको पकड़ा जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या किया जाये ?

श्री शंकर लाल बेरवा: सरकार चन्दा लेना बन्द कर दे। अगर वह चन्दा लेना बन्द कर दे तो किसी सेठ की हिम्मत नहीं होती कि वह मिलावट करे। लेकिन यह तो सेठों से दबी हुई सरकार है, वह उनको पकड़ कर क्या करेगी? अगर किसी को पकड़ेगी तो किसी नमक, तेल मिर्च वाले को पकड़ लेगी।

यहाँ पर लेबोरेटरीज का हाल यह है कि अगर किसी लेबोरेटरी में कोई चीज टैस्ट के लिये भेजी जाये तो दूसरा फौरन पहुंच जाता है कि साहब यह किस तो हमारा है। मिनिस्टर साहब का सन्देश पहुंच जाता है कि सब कुछ सही सलामत बना देना और लेबोरेटरीज में सही सलामत सब बना दिया जाता है। फिर लेबोरेटरी के अन्दर तीन तीन वर्ष तक टैस्टस के निर्णय नहीं आते हैं।

Dr. Sushila Nayar: Sir, I strongly protest against the hon. Member saying that the Minister sends word that this case is his. Either he should

[Dr. Sushila Nayar]

prove it or these words should be struck off. It is completely unwarranted.

Shri Priya Gupta (Katihar): There are many things which cannot be proved officially.

श्री श्रीकार लाल बेरवा : मैं कई तरह के प्रूफ बतला सकता हूँ जिनमें तीन तीन साल में एक्सपेरिमेंट्स के निर्णय आते हैं। जब कोई जा कर थैलियाँ खोल देता है तो गलत निर्णय आ जाता है और थैलियाँ नहीं मिलती है तो निर्णय सही होता है। मैं जाना चाहता हूँ कि क्या बजह है कि तीन तीन साल के लिये निर्णय का इन्तजार करना पड़ता है।

Mr. Chairman: The hon. Member should not cast aspersions on the judiciary.

श्री श्रीकार लाल बेरवा : मैं जूडीशियरी के लिये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि लेबोरेटरीज के अन्दर जब हम टेस्ट करने के लिये कोई मिलावट की चीज भेजते हैं तो उसका निर्णय आने में बड़ी देर लग जाती है। आखिर कोई लिमिट तो होनी चाहिये कि तीन महीने में, छः महीने में, किसी तरह से निर्णय आ जाये। क्या कारण है कि तीन तीन साल तक मामला पड़ा रहता है। लोग इन्तजार करते रहते हैं कि कोई देने वाला आये तो वह निर्णय भेजे। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि निर्णय जल्दी से जल्दी मंगाया जाये।

दूसरी बात आपने यह रबी कि यह इन्स्पेक्टर राज्य सरकार के अधीन होंगे या केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगे। आपको चाहिये कि एक तरीका तलाशी वगैरह का रखिये। अगर केन्द्रीय इन्स्पेक्टर जायेगा तो राज्य वाला कह सकता है कि स्टेट की हद के अन्दर तुम तलाशी नहीं ले सकते। इसी तरह से केन्द्रीय इन्स्पेक्टर राज्य के इन्स्पेक्टर को कह सकता है !

इस तरह से झगड़ा होगा। यह बात दूसरी है कि सौदा हो जाये और रुपये में वारह आना आठ आना चार आना कुछ तय हो जाये। मेरा कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक मिलावट दूर होने वाली नहीं है। आज सब जगह मिलावट और काला बाजार जारी है। शहद की जगह असली शहद नहीं मिलता। उसमें चीनी की चाशनी मिला दी जाती है। घी के अन्दर दालडा चल ही रहा है। इसको रोकने के लिए कई सालों से प्रयत्न हो रहा है लेकिन कहते हैं कि रंग ही नहीं मिलता है लेकिन सारे फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वे कांग्रेस के एलेक्शन को चलाते हैं इसलिये सरकार को रंग नहीं मिलता। रंग मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां इतना विज्ञान है जो सारे रंग बतलाता है लेकिन रंग मिलाने कौन देता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक यह परम्परा चलती रहेगी तब तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा और जो गरीब दूकानदार हैं वे इसी तरह से मारे जायेंगे।

और आपको मिलावट को मिटाना है तो इसके लिये पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी कुछ समय हुआ कंट्रोल हुआ गेहूँ का ! दूकानदारों ने क्या किया। जो काली मिट्टी का कंकड़ होता है वह गेहूँ में मिलाना शुरू कर दिया, एक मन में पांच सेर। पांच सेर का दाम हुआ २ ६०। अगर उन्होंने इस तरह से २४ मन बेचा तो उनके पास ४८ ६० आ गये। इस तरह से मिलावट होती है। समाने पुलिस खड़ी रहे, इन्स्पेक्टर खड़ा रहे, कुछ नहीं कहता। वह कैसे बोलेगा क्योंकि उन दूकानों से तो चन्दा बंधा हुआ है, गये और ले आये। अगर उनकी जांच हो तो अफसरों के पास पैसा आये तो कहां से आये।

अब आप देखिये कि एक कमेटी बनाई गई अष्टाचार को रोकने के लिये। जिस का नाम है अष्टाचार आयोग। अब देखिये

Bill

Mr. Chairman: He did not refer to the hon. Minister by name. He made a general remark.

Shri Kapur Singh: If it is a general remark, that is all right.

कि उसमें क्या होता है। मैं अक्सर रेलवे में जाता रहता हूँ। देखता हूँ कि लोग गाड़ों के पास आते हैं कि देखो भाई, दस सवारियाँ हमारी हैं, यह बम्बई तक चलेगी। दस सवारियों का कितना किराया हो गया। अगर उन सवारियों का किराया गाड़ों अपनी जेब में रखे तो फिर बिजिलेंस कमिशन से क्या होगा। यह बिजिलेंस कमिशन तो उसी तरह से है कि एक राजा साहब एक सेंसर भस्खन ज़िखते थे और पाव भर भंग का घोंटा लगाते थे। भस्खन देने वाले ने सोचा कि राजा साहब तो भंग के नशे में मस्त हैं, पाव का तीन छटांक भस्खन कर दो, इसके बाद आधा पाव कर दो। इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। एक दिन राजा साब कुछ होश में आ कर सोचने लगे कि मैंने भस्खन खाया या नहीं। ओठों से हाथ लगाया तो पता चल कि खाया तो है। उसी तरह से हमारी सरकार भंग के नशे में मस्त है और जो उसके चाटुकार हैं वे खाने पीने में मस्त हैं।

मेरा निवेदन है कि यदि आप को भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और उसका रेजल्ट भी लेबोरेटरीज से जल्दी मांगा जाये।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Mr. Chairman, before you call the next speaker may I make a small submission? The hon. speaker who has just now finished has made certain observations which call for action and which cannot be allowed to go unchecked. Previously he spoke about lice creeping round the ears of the hon. Minister. That may be allowed to pass. But later on he said that the hon. Minister of Health herself interferes by way of corrupt practices in the tests of laboratories. Either these remarks should be withdrawn or they should be proved by way of evidence to be produced here on the floor of this House or they should be expunged.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि देश में खाद्यान्न में मिलावट हो रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इस सदन में कोई ऐसे सदस्य नहीं है जो इस पक्ष में हो कि इसको न रोका जाये। हाँ रोकने के लिये जो रास्ते अपना गये हैं उनमें मतभेद है। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिये हैं और माननीय मंत्री जी को बघाई दी गई है कि वह इस बिल को यहां लाई। उनका विचार है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सारा आमला ठीक हो जायेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि इस से कुछ नहीं होगा। मेरा तो यह कहना है कि मैं समझ नहीं पाता कि इस बिल को रिपोर्ट करूँ या अपोज करूँ। यह एक अजीब सा बिल है और इस तरह के बिल सदन में आते रहते हैं।

यहां पर कानून पहले से मौजूद है तथा माननीय सिंहासन सिंह ने कहा कि आप रिपोर्ट दे देते हैं हम ने इतने लोगों को सजायें दीं। आप ने कहा कि हमने चीनी में मिलावट रोकी लेकिन कौन सी चीज है जिसमें आज तक मिलावट रुक सकी है इस कानून के बनने के बाद। एक आदमी ने कहा कि मुर्गी के अंडों में मिलावट नहीं होती। मैंने सोचा कि चलो इसको देखें। मालूम हुआ कि मुर्गी के अंडों में कछुआ का अंडा मिलाया गया। हद हो गई। आप कुछ करा दें, मिलावट रुक नहीं सकती। गैरमुभकिन है।

हमारे भाई श्री यशपाल सिंह ने कहा कि दांत के बदले आंख निकालो, दांत के बदले दांत निकालो। लेकिन समाज यह भी करके देख चुका है और अपराध नहीं रुका, वह बढ़ता चला गया। जब तक पूंजीवादी ढांचा समाज में मौजूद रहेगा तब तक दुनिया

[श्री सरजू पाण्डेय]

की कोई ताकत अपराध को नहीं रोक सकती। अगर आप इस चीज की बुनियाद को ठोक करेंगे तभी कुछ हो सकता है। दूर जाने की बात नहीं है, इस लोक सभा के सदस्यों के होटल में मिलावट होती है। ऊपर चले जाइये तो देखिये कि शशो राम के होटल में लोग मुफ्त दावतें खाते हैं और हम लोगों को मिलावट की चीज खानी पड़ती है। आप घर घर में देख लोजिये। जो दूध मिलता है, जो घी मिलता है वह दूध और घी भक्खन निकाला हुआ मिलता है। संस्कृत की एक छोटी सी कहावत है कि इस समाज का चरित्र क्या है। उसमें कहा गया है :

जगत कर्तापिवोभिक्ष भूतां वासो निकेतनः

श्री संसार का कर्ता है वह भिखारी है और महलों में भूतों का वास है। भूतों के डेरों में कौन सा कानून है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नाराज न हों। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि टेलिफोन पर खबरे दी जाती हैं। अगर इस को साबित करने का मौका आया तो वह भी किया जायेगा। अगर इसको सुनता कौन है। कौन सो ऐसी पार्टी है जो इस तरह से अपराधों को देखती है। हम लोग लोक सभा के सदस्य हैं। मिलावट हो रही है लेकिन हम पूछ भी नहीं सकते कि कहां क्या हो रहा है। आप को कोई अच्छा नहीं है, कोई पावर नहीं है। इस लूट को रोकने के लिये जरूरी है कि समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने का प्रयत्न किया जाए। हमारे जनसंघ के सदस्य ने कहा कि भिलभालिक ही सारे करप्शन की जड़ हैं। अगर वह इस की जड़ हैं तो आप को ईमानदारी यह है कि पूंजीवाद को हटाने का प्रयत्न कीजिये। आईये मैदान में। मैं कांग्रेसी भाइयों से भी कहता हूँ कि वह बड़े अक्लमन्द भी हैं और उनका शासन भी है, वे क्यों नहीं पूंजीवाद को खत्म करते। पूंजीवाद को खत्म करने का यह मतलब नहीं कि आप उन लोगों को ही खत्म कर दें। लेकिन जब तक आप उनके हाथों से उत्पादन के साधनों

को नहीं छीनेंगे तब तक गैरमुभकिन है कि यहां पर मिलावट रुक सके।

श्री सिहासन सिंह : दिल्ली मिल्क स्कीम सरकार के हाथ में है।

श्री सरजू पाण्डेय : यह बिल जो हमारे सामने रखा गया है सिर्फ उसके सम्बंध में मेरा यह कहना है। यह किसी व्यक्ति की बात नहीं है।

श्री सिहासन सिंह : दिल्ली मिल्क स्कीम बिल्कुल सरकार के हाथ में है। उसमें मिलावट हो रही है। तो पूंजीपति की होने में और सरकार की होने में क्या फर्क है।

श्री सरजू पाण्डेय : वजह यह है कि लोगों की मनोभावना व विचार नहीं बदले इसलिये हम देखते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में तो गड़बड़ और सब तरह की बेईमानी चलती ही है लेकिन पब्लिक सैक्टर भी अच्छता नहीं बचा है क्योंकि लोगों के विचार नहीं बदले हैं। आखिर इस सरकार में आज कौन लोग बैठे हुए हैं? इस सरकार में वही पूंजीपतियों के लड़के हाकिम व अफसर बने बैठे हैं जिसके कि कारण हम पब्लिक सैक्टर में भी कोई खास फर्क नहीं देखते हैं। आज के दिन क्या किसी गरीब आदमी का लड़का सरकार में जा सकता है? क्या कोई गरीब आदमी का लड़का हाकिम व अफसर बन सकता है? क्या गरीब का लड़का अच्छी और ऊंची एजुकेशन पा सकता है? इसलिये केवल नाम बदल देने से वह चीज प्राइवेट सैक्टर में नहीं चल रही है अपितु पब्लिक सैक्टर में चल रही है कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि विचार तो जिम्मेदार लोगों के वही पुराने हैं।

हम देखते हैं कि रेलवे होटलों को जब से सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनका बुरा हाल हो रहा है। उनकी हानत खराब करके रख दी है। गोदत उनमें ऐसे पकता

Bill

हे जैसे बादाम का हलवा । हम खाने के लिए चिल्ला कर रह जाते हैं, उसके लिए घैटी बजाते हैं लेकिन कुछ नहीं बनता, कह दिया जाता है कि खाना नहीं है, जाइये । प्राइवेट हायों में जब इनका इंतजाम था तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि उनको मुनाफ़ा कमाना होता था, प्राइवेट ठेकेदार जब उसका इंतजाम सम्हालते थे तो चूक उनको पैसा लेना होता था, मुनाफ़ा कमाना होता था इसलिए वह हम लोगों को सलाम करते थे और झट से खाना लाकर देते थे लेकिन अब कोई पर्वाह नहीं करता है । इसलिये खाली किसी चीज़ का इंतजाम सरकार द्वारा स्वयं चलाना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि हमें लोगों के उन पुराने विचारों को भी बदलने की ज़रूरत है । इस देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को तबदील किये वगैर भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है । अगर जंगल में किसी आदमी को बहुत अर्से के लिए छोड़ दिया जाय तो वह बंदर बन सकता है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके माहौल को बदलें, लोगों की उन पुरानी जहूनियों को बदलें तभी जाकर यह चीज़ हो सकती है ।

इस कानून में इंस्पेक्टरों लोग बनाये गये हैं और दूसरे और भी बनाये जा रहे हैं । लेकिन मेरा कहना है कि इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा ही । मैं आप को बतलाऊं कि इन इंस्पेक्टरों लोगों ने नाक में दम कर रखा है । यहां बाजारों में आप जाइये, यह इंस्पेक्टरों लोग तेल सूंधते फिरते हैं, छोटे छोटे टटपूजिया दुकानदारों को हर तरह से हैरस करते फिरते हैं, कहते हैं कि क्या बात है तुम्हारा तेल ठीक नहीं है और उस तरह से नाजायज तौर पर रकमों ऐंठ लेते हैं । मिलावट का कानून आपने बना दिया और बन आई इन इंस्पेक्टरों की जोकि इन छोटे छोटे बनियों और दुकानदारों से यह कह कर कि तुम्हारी अमूक अमूक चीज़ में मिलावट है उनको परेशान

करते हैं और वह अपना पिंड छुड़ाने के लिए उनकी जेबें गमं करने को बाध्य होते हैं ।

मैं आपको अपने जाति अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूँ कि सरकार ने एक कानून यह बनाया कि कोई आदमी मरे हुए जानवर को जिबह न करे । लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने उनको कह दिया कि तीन सेर बढ़िया गोश्त मेरे घर पहुंचा दो फिर तुम बेफिक्र होकर चाहे घोड़े, गदहे किसी भी जानवर को जिबह करके उसका गोश्त अपनी दुकान में भर कर बेचो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है । कहने का मतलब यह है कि इस तरह से यह इंस्पेक्टरों लोग भ्रष्टाचार करते फिरते हैं । इसीलिए मेरा आप से यह कहना है कि आप इंस्पेक्टरों की फीज को पैदा मत कीजिये क्योंकि इससे मुल्क में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा । लूट और बढ़ेगी इसलिये और अधिक इंस्पेक्टरों लूट को बढ़ाने के लिये पैदा मत कीजिये ।

यह अमेंडमेंट बिल सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है और मैं चाहूंगा कि मम्बरान इस पर अच्छी तरह से गौर करके इसमें आवश्यक सुधार करें ताकि इसमें जो मौजूदा लूपहोल्स हैं वह हटा दिये जाय और भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश कम हो जाय । श्री सिंहांसन सिंह ने मैं समझता हूँ कि ठीक ही कहा है कि इसमें पहले श्रीफेंस के लिए, दूसरे श्रीफेंस के लिए, तीसरे श्रीफेंस के लिए और चौथे श्रीफेंस के लिए सजायें धीड़ी थोड़ी बढ़ा कर रखी गयी हैं मानो लोगों को एक से अधिक बार जुर्म करने का मौका दिया जा रहा हो । दूसरे इसमें मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी ने चौथी बार भी श्रीफेंस किया है तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वह अपने जजमेंट में रीजंस रेकार्ड करके उसको उसके हिसाब से काफ़ी कम सज़ा भी दे सकता है । जाहिर है कि इस प्राविजन के रहने से मजिस्ट्रेट भी भ्रष्ट होंगे । वह कोई न कोई वजह तलाश कर ही लेंगे ताकि लोग

[श्री सरजू पाण्डेय]

सजा न पायें और इस तरह से भ्रष्टाचार और अधिक पनपेगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि बुनियादी बात तो यह है कि इस बिल को लाने की मेरी समझ में कोई ज़रूरत ही नहीं थी और जो अधिकार आज आप के पास वर्तमान कानून के मुताबिक हैं वही काफी हैं। सबसे ज्यादा ज़रूरत तो इस बात की है कि जो मशीनरी आपकी काम करने वाली है उसका सुधार कीजिये।

सुनने में आता है कि पहले जमाने में यहां के राजा लोग रात में भेस बदल कर शहर में घूमा करते थे और प्रजा का हालचाल लिया करते थे। वैसे सामंतशाही और शहन-शाही बड़ी खराब थी और उनको देश में से जाना ही चाहिए था लेकिन उनकी इस चीज की हमें सराहना करना पड़ेगी कि वे राजा, महाराजा अपनी प्रजा की खोज खबर इस तरह से भेस बदल कर लिया करते थे और इससे उनको असलियत का पता चलता था। राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वह रात में भेस बदल कर शहर में घूमा करता था और सच्ची हालत का पता लगाता था। हालांकि आज देश में प्रजातंत्री सरकार कायम है और यह शासन देश में समाजवादो समाज की स्थापना के लिए वचनबद्ध है तो भी देखने में यह आता है कि हमारे मिनिस्टर्स लोग जहां चले जाते हैं, वहां उन इलाकों में एक तूफान सा खड़ा हो जाता है, उनके आगे पीछे पुलिस वालों, ग्रामसेवकों, सेक्रेटरीज और पटवारियों आदि अमलेदारों को एक अच्छी खासी फौज चलती है और परिणाम यह होता है कि जनता से आपका असाक्षात्कार सही मायनों में संभव नहीं हो पाता है। ज़रूरत इस बात की है कि मिनिस्टर्स महोदय अपने आगे ठीके चलने वाली इस फौज फट्टे को हटायें और गांवों में स्वयं घूम कर जनता से बात करके उनकी सही हालत का पता लगायें। आज ही यह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घर में सोता

रहता है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि इलाक़े में आग लगी है कि नहीं। सारी अपनी मशीनरी को आप टाइट करें और यह देखें कि वे अपने कर्तव्य का मुस्तैदी के साथ पालन करें। मिनिस्टर्स लोग स्वयं गांवों में घूमना शुरू करें और रात को भेस बदल कर जनता की सही हालत और उनकी कठिनाइयों का पता लगाने की कोशिश करें तभी अबस्था सुधर सकती है और भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि हमारे मिनिस्टर्स लोग महलों से निकलने वाले नहीं हैं। केवल एक के बाद एक कानून बनाते जाने से काम नहीं चलने वाला है। पहले जहां स्टेट का इंस्पेक्टर घूस लेता था वहां अब सेंटर का इंस्पेक्टर भी घूस लिया करेगा। एक भाई ने ठीक ही कहा है कि इससे भ्रष्टाचार में और वृद्धि ही होगी। जहां पहले मिलावट तीन आने होती थी वहां अब मिलावट आठ आने हो जाने वाली है। घूसखोरी बढ़ जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई में भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो बुनियादी चीजों पर धमल कीजिये और देश के नैतिक बल को ऊंचा उठाइये। इसके लिए आप को स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा और सब के सामने अपना एक आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा।

“महाजनों येनगतः सपन्थः।”

जाहिर है कि अगर मिनिस्टर्स लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो नीचे के आदमी भी भ्रष्ट होंगे। आप को लोगों की सच्चे मानों में रहनुमाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ मेरी आप से पुनः यह प्रार्थना है कि इस इंस्पेक्टरों की फौज को ज्यादा मत बढ़ाइये।

श्री तुलशीदास जाधव (नादेड़) : सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक जोकि हाउस के सामने आया है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

आजकल हर एक चीज में मिलावट का बोलबाला है और इस कारण लोगों को कोई भी चीज शुद्ध मिलनी दूभर हो गयी है। लोगों को इस कारण बड़ी तकलीफ होती है। चूँकि फूड ऐडल्ट्रेशन ऐक्ट, १९५४ के रहते हुए यह मिलावट की बीमारी बढ़ती गयी इसलिए यह जरूरी समझा गया कि जो ऐक्ट में मशीनरी है उसको और अधिक ऐडीक्वैट बनाया जाय और तदनुसार कुछ ऐक्ट के प्राविजंस को रिवाइज करना जरूरी समझा गया और यह अर्मेडिंग बिल लाना पड़ा। पहले जहाँ ऐक्ट में यह लिखा था :—

“With a view to preventing outbreak or spread of infectious diseases

वहाँ अब उसके बजाय यह लिखा जा रहा है :—

In the interest of the public health”

यह जो शब्दों की तबदीली की जा रही है। यह ठीक है, पहले स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल एथारिटीज के इंस्पेक्टर्स को बतौर फूड इंस्पेक्टर्स के मुकर्रर किया करती थी। लेकिन इस मिलावट की बढ़ती हुई बीमारी को पूरी तरह से रोकने के लिये यह जरूरी समझा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन किया जाय और इस अर्मेडिंग बिल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी फूड इंस्पेक्टर्स नियुक्त करने जा रही है। इस तबदीली के लिए मैं मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

16.27 hrs.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

हमें इसी के साथ-साथ यह देखना है कि आखिर यह ऐडल्ट्रेशन क्यों होता है? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई एक चीज मंहगी होती है और दूसरी कोई एक चीज सस्ती होती है तो जो मंहगी चीज होती है वह सस्ती चीज में मिला कर बेची जाती है। यमलावट का इसी के साथ एक दूसरा कारण यह भी है कि जब कोई चीज बाजार से गुम हो जाती है तो वह चीज सस्ती चीज में मिला

कर लोगों में बेची जाती है। इस मिलावट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलने वाला है बल्कि सरकार को देश में आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन करने का भी प्रबंध करना चाहिये ताकि डिमांड के अनुसार सप्लाई कम न पड़े। अब होता यह है कि जब कोई चीज बाजार में गुम हो जाती है उसकी कमी पड़ जाती है तो चूँकि लोगों की गरज बावली होती है इसलिये वे उसके लिए चोरबाजारी में अधिक पैसे देकर खरीदते हैं और दूसरे वह चीज शुद्ध भी उनको नहीं मिल पाती है और वह मिलावटी मिलती है। इसलिये मेरा कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा दूसरे भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि फूड डिपार्टमेंट है जिसका कि इससे सम्बंध आता है उन मंत्रालयों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि आवश्यक खाद्यान्न की वस्तुओं का अभाव न होने पाये, उनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाय ताकि बाजार में उनकी कमी न पड़ने पाये और उनके गुम होने और उनमें मिलावट की जाने की नीबत न आने पाये। जहाँ यह अर्मेडिंग बिल पास किया जाना आवश्यक है वहाँ यह भी आवश्यक है कि देश में प्रोडक्शन बढ़े और इसके लिए इस मंत्रालय के अतिरिक्त दूसरे जो सम्बद्ध मंत्रालय हैं वे भी इसके लिये प्रयत्न करे। ऐसा होने से यह ऐडल्ट्रेशन कम होगा। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) :

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिवेशन आफ फूड ऐडल्ट्रेशन (अर्मेडमेंट) बिल लाया गया है, मैं समझता हूँ, कि इस संशोधन से हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है। जो जांच इस सम्बंध में की गई है और उसकी शिफारिश के आधार पर लोगों की जो धारणा है कि यह संशोधन हो जाने से, शायद स्थिति में सुधार होगा ऐसी समझ भूल है। प्रिवेशन आफ फूड ऐडल्ट्रेशन ऐक्ट, १९५४ को अर्मेड करने के लिए यह जो बिल लाया गया है

[श्री भू० ना० मंडल]

उसके पास होने के पहले अभी की जो राजनीति है उसमें भी तबदीली लाने की जरूरत है। आज अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान का शासन किन के हाथ में है। ऊपर से देखने में तो मालूम पड़ता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश का शासन है, कुछ माने में यह सही भी है, लेकिन, देश का शासन, सही मायने में, अगर किसी के हाथ में है तो वह इस देश के मुनाफ़ाख़ोरों के हाथ में है। जब तक यह शासन उन मुनाफ़ाख़ोरों के हाथ में रहेगा और शासन मुनाफ़ाख़ोरों के हाथ में तब तक रहेगा जब तक मुनाफ़ाख़ोरी यहां पर आर्थिक क्षेत्र से बिल्कुल मिट नहीं जायगी, तब तक कांग्रेस पार्टी को उन के एजेंट की तरह काम करना पड़ेगा। चूँकि खाद्य में बुरी चीजों की मिलावट रुक नहीं सकती है। बहुत गड़बड़ी बढ़ने पर उस को मुनाफ़ाख़ोरों के एजेंट की तरह काम करना पड़ता है, इसलिए उस का नतीजा यह होता है कि जब लोगों का प्रेशर पड़ता है, तो सरकार की ओर से गड़बड़ी मिटाने के लिये कुछ विधेयक लाया जाता है और वह इस हा उस में पास भी हो जाता है, लेकिन उस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने वालों में जो ईमानदारी और हिम्मत होनी चाहिये, वह हिम्मत सरकार अपने अन्दर बटोर नहीं पाती है।

इस के अतिरिक्त देश के मुनाफ़ाख़ोरों के पास ऐसी आर्थिक शक्ति है, जिस से वे गवर्नमेंट के नीचे के इंस्पेक्टरों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अगर इंस्पेक्टर गलती करते हैं, तो प्रशासन के जिन लोगों पर इंस्पेक्टरों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, वे भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते हैं। वे स्वयं तो निगरानी कर नहीं पाते हैं और प्रशासन में उन के ऊपर जो मिनिस्टर हैं,

वे उन लोगों से निगरानी करवायें, ऐसी बात भी नहीं हो पाती है।

इस प्रकार प्रशासन के जो तीन भाग हैं : एक, नीचे के कर्मचारी ; दूसरे, उन कर्मचारियों के ऊपर उन के काम को देखने वाले और तीसरे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर सब के सब प्रशासन के लिये बेकार हो जाते हैं। आज इस देश में नीचे के कर्मचारियों, उन की निगरानी करने वालों और मिनिस्टरों में, अर्थात् प्रशासन के तीनों भागों में, इतनी शक्ति नहीं है कि वे आज की परिस्थिति में हिन्दुस्तान के मुनाफ़ाख़ोरों के खिलाफ़ कोई ऐसी सख्त कार्यवाही कर सकें, जिस से मिलावट की यह बीमारी दूर हो।

भारत कमिटी ने रिपोर्ट दी थी कि इस देश में ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, जिस से फूड की एडल्टरेशन रुक सके। उस के मुताबिक़ कानून भी बना, लेकिन उस कानून के बनने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हाल ही में १९६१ में जो रिपोर्ट निकली है, उस में भी कुबूल किया गया है कि कानून बनने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में उस में कुछ सुझाव दिये गए हैं। उन्हीं सुझावों के मुताबिक़ यह एमेंडिंग बिल लाया गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स की गई हैं, भले ही वे कुछ मामलों में सही हों, लेकिन आज देश में जो परिस्थिति है, उस में वैसा एमेंडमेंट होने पर भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर इस देश में कुछ करना है, तो कांग्रेस पार्टी को, जो कहती है कि हम को हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम करना है, सब से पहले देश से मुनाफ़ाख़ोरी को ख़त्म करना पड़ेगा।

आज देश में जो इस ढंग का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह इतनी दूर तक चला

गया है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए मुनाफ़ाखोरी को बिल्कुल खत्म करना चाहिये। उसी अवस्था में इस प्रकार के कानून सफल हो सकते हैं।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस कानून को वापस ले लें। वह इस बात पर विचार करें कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक़ खाद्य में मिलावट रोकने वाले कानून की सफलता के लिये पूर्व शर्त के रूप में क्या कार्यवाही करनी चाहिये। संयोग से अब एक नई सरकार बनने जा रही है, जिस के नेता ने कहा है कि हम समाजवाद कायम करने जा रहे हैं। यों तो कांग्रेस पार्टी पहले से यह नीति कुबूल कर चुकी है, लेकिन अब तक जो कुछ काम हुआ है, उस से ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि सही मानों में उस नीति पर अमल हो रहा है।

जो नया रेज़िम आ रहा है, उस की ओर से सही माइनों में मुनाफ़ाखोरी खत्म करने के रूप में अगर समाजवाद कायम करने की कोशिश हो, तो उस के बाद ही इस देश को इस तरह के कानून से लाभ हो सकता है, अन्यथा यह प्रयास बिल्कुल बकार है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूँ कि आप ने मुझ बोलने का समय दिया। मैं ने अभी अपने विपक्षी मित्रों को सुना। अभी एक सोशलिस्ट भाई ने समाप्त किया और उन के क्रिब्ल जनसंघ के एक सज्जन ने अपना व्याख्यान दिया।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : मेरा नाम बेरवा है।

श्री शिव नारायण : मुझ खुशी है कि वह सदन में मौजूद हैं। इस देश के पूंजी-

तियों के विषय में उन्होंने बड़ा बविला मचाया। मैं हिस्ट्री का एक स्टुडेंट हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में गिन-गिना कर २२ आदमी कैपिटलिस्ट कहलाते हैं और दो सौ करोड़ रुपये पर उन का डामिनेशन है। लेकिन इस का जिम्मेदार कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है। माननीय सदस्य बिल के बारे में बोलें।

श्री शिव नारायण : मैं एडल्ट्रेशन पर आ रहा हूँ। बिज़िनेसमैन इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग होती है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पैसा लिया है। एडल्ट्रेशन के जिम्मेदार जनसंघ के बिज़िनेसमैन हैं। जो बड़े बड़े लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, वे जनसंघ के लोग हैं। नब्बे परसेंट लोग आप को ऐसे मिलेंगे।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : इस का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के लोग बिज़िनेस करते हैं, माननीय सदस्य को इस का प्रमाण देना होगा, वरना आप इन शब्दों को एक्सपंज कर दें।

श्री शिव नारायण : मैं प्रमाण देता हूँ।

श्री बृजराज सिंह : इस का क्या मतलब है कि जनसंघ के लोग बिज़िनेस करते हैं ? क्या कांग्रेस के लोग बिज़िनेस नहीं करते हैं ?

श्री शिव नारायण : बनिया क्लास उसमें है। जनसंघ के नेता बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिल के बारे में बोलें।

श्री शिव नारायण : मैं बिल के बारे में कह रहा हूँ। इस मुल्क में हर पार्टी वाले

[श्री शिव नारायण]

पैसा पाते हैं। इसलिए ऐसा आक्षेप करना मनासिब नहीं है। इस हाउस में ऊंची बात कही जाये और गलत बातें न कही जायें। अगर मैं पैसा लेता हूँ, तो माननीय सदस्य भी लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कुबूल कर लिया।

श्री बृजराज सिंह : यह क्या आर्ग्युमेंट है कि मैं लेता हूँ, तो आप भी लेते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि एडल्ट्रेशन के बारे में निगरानी कड़ी की जाये। चूँकि केन्द्रीय सरकार ने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाई हैं, इसलिए उसका इन्टरफ़ीयरेंस हुआ और इसीलिए मंत्री महोदय यह एमेंडिंग बिल लाई है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मित्र इस बारे में सोसायटी में प्रीच करें। केवल गवर्नमेंट ही रैसपांसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं ओढ़ता हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट यह एमेंडिंग बिल लाई है।

मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही डंडे से सब को हांकना और यह कहना कि सब चोर हैं, हमारे सब अफसरान को चोर कहना, मानने वाली बात नहीं है। यह गलत बात है। हमारे पास अच्छे से अच्छे आफिसर भी हैं और अच्छे से अच्छे लीडर भी हैं। मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं।

एक माननीय सदस्य : खराब कोई नहीं है ?

श्री शिव नारायण : खराब भी हैं, लेकिन एक डंडे से सब को हांकना कि सब चोर हैं, यह मानने वाली बात नहीं है।

इस्पेक्टरों की बात कही गई है। मैं मानता हूँ कि इस्पेक्टर लोग गड़बड़ करते हैं।

सरकार स्पेशल सी० आई० डी० के द्वारा उन का काम देखे और पता लगाये कि कौन गड़बड़ करता है। हम किसी को बर्कशने के लिए तैयार नहीं हैं।

अगर भगवान् चाहेगा, तो ६ तारीख से हिन्दुस्तान में एक नई गवर्नमेंट बनेगी, जिसके नेता ने एलान किया है कि हम सोशलिज्म पर चलेंगे। वास्तव में सोशलिज्म ही हमारा मिशन है। हमारे माननीय मित्रों को उस में सहायता देनी चाहिए और मदद करनी चाहिए।

जहाँ तक एडल्ट्रेशन का सम्बन्ध है, उसमें गांव और शहर, पढ़-लिखे और जाहिल, सब शामिल हैं। आज गांवों में शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है। मैं डाक्टर साहब से अपील करता हूँ कि वह इस कानून को सक्ती से कार्यान्वित करें, जिस से मुल्क में शुद्ध दूध मिले और दूसरी चीज भी शुद्ध और साफ़-सुधरी मिल सकें। मैं फ़ारेन कन्ट्रीज में रहा हूँ। वहाँ पर पैसा खर्च करने से कोई भी चीज शुद्ध और अच्छी मिल सकती है। अगर बाजार में नकली, गलत और मिलावट वाली चीजें मिलती हैं, तो देश की नाक कटती है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल रहे—और वह स्टेबल है—ताकि देश को जो भी चीजें मिलें, वे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्द्धक हों और इस प्रकार देश का कल्याण हो।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सिवाये एक दो सदस्यों के सब ने इस बिल का स्वागत किया है। इस के लिए मैं सदन की आभारी हूँ।

श्रीमन्, जनसंघ वाले कहते हैं कि यह बिल वापस लो और सोशलिस्ट कहते हैं कि यह बिल वापस लो।

श्री बड़े : हम ने नहीं कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाये।

*Adulteration (Amendment)
Bill*

श्री श्रीकार लाल बेरवा : हम ने इस बिल का समर्थन किया है ।

डा० सुशीला नायर : और वे दलील क्या देते हैं ? कहते हैं कि नई सरकार आ रही है । मैं कहना चाहती हूँ कि नई सरकार की उनको क्या फ़िक्र है । यह तो हमारी सरकार है—हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी । हमारी सरकार जो नीति चलाती आई है, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है सतरह बरस पहले तब से जो नीति चलाती आई है, उस नीति पर, जवाहरलाल जी की नीति पर हमारी सरकार कायम है । जो कार्यक्रम जवाहरबाल जी ने बनाया था, उन्होंने जो कुछ कहा था उसका हम आगे बढ़ा रहे हैं । यह कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर अवलम्बित नहीं है, विचारों पर अवलम्बित है, आदर्शों पर अवलम्बित है । उन आदर्शों को हम निभाते आये हैं, निभाते जायेंगे । इन लोगों की गालियों से हम डर नहीं जायेंगे । क्या बातें करते हैं ये ? समझते नहीं हैं बात को । कानून इन्होंने पढ़ा नहीं है । इनको मालूम नहीं है कि कानून में क्या है । बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करके, गालियाँ निकाल कर ये समझते हैं कि कुछ इनकी दलीलों में सार आ जायेगा, जोर आ जायेगा । क्या कहते हैं ये ? कहते हैं कि मिनिस्टर सन्देश भेजते हैं कि यह हमारा आदर्मी है इसको बरकश दो, यह हमारा नहीं है, इसको पकड़ लो (इंटरप्लॉज)

Shri S. M. Banerjee (Kanpur):
Shall I rise on a point of order? She should reply to the debate.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. She is replying. Irresponsible statements cannot be made.

डा० सुशीला नायर : मैं यील्ड नहीं कर रही हूँ । इनके मिनिस्टर पर अटैक 783 (Ai) LSD—8.

इस तरह से करने से क्या होगा । इनके कहने में मुताबिक तो सारी की सारी ज्यूडिशरी खराब हो गई । ये समझते हैं मिनिस्टर ने मैसज भेज दिया और उन्होंने मान लिया । जब इनको इस बात पर पकड़ा गया और सभापति महोदय ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तो ये उठ कर कहने लगे कि नहीं साहब, एनैलेसिस जिन लेबोरेटरीज में होता है वहां मैसज भेज देते हैं । इनको यह मालूम नहीं है कि कानून के अन्दर एनेलेसिस के बारे में अपील के लिए एक ग्राल इंडिया लेबोरेटरी कलकत्ता में है और जिस किसी को शिकायत हो, वह कह सकता है कि एनैलेसिस ठीक नहीं है और वह भेज सकता है एनेलेसिस अपील के लिये । वहां पर वह एनेलेसिस करके अपनी शिकायत की मुनवाई कर सकते हैं, परीक्षण दुस्त करवा सकता है । वे कहते हैं कि दिल्ली में यहां पर कोई हल्दी मिलावट वाली पकड़ी गई थी और मंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगी (इंटरप्लॉज) अब हल्दी दिल्ली में ही नहीं कई जगहों पर मिलावट वाली बिकती है । अब मंत्री हर जगह जाकर उस हल्दी को दुस्त नहीं कर सकता है । मैं जानना चाहती हूँ कि इनके कान पर कितनी जू रेंगी, इन्होंने क्या काम किया, क्या ये सदस्य महोदय बता सकते हैं

श्री श्रीकार लाल बेरवा : आप दिल्ली में रहती हैं और मैंने दिल्ली की ही मिसाल दी है ।

डा० सुशीला नायर : आज यह कानून हमको क्यों लाना पड़ रहा है ? पहले कानून में लिखा है कि कम से कम दो इंडीपेंडेंट विटनैसिस होनी चाहियें साथ जाने के लिये । दो विटनैसिस साथ जाने को तैयार नहीं होती है । तो आज कानून चलाते वाले कहते हैं कि साहब इन से ही कई केस फेल हो जाते हैं, इस वास्ते हमको इजाजत दो कि दो हो सकेंगे तो हम दो ले जायेंगे,

[डा० सुशीला नायर] :

लेकिन एक भी हां जाये तो भी कानून के लिये काफी है। तो वह आज हम कानून ला रहे हैं।

इसी प्रकार से ये कहते हैं कि छोटे आदमियों को क्यों पकड़ते हैं। यही तो दुःख की बात है कि जब पकड़ने कोई आता है तो कोई हिमायती पहुंच जाता है छोटे का और कोई पहुंच जाता है बड़े का। पाप है सो पाप है। छोटे ने किया तो पाप है, बड़े ने किया तो पाप है। जिस किसी ने किया उसको पकड़ा जाना चाहिये उसको पकड़ने में इन लोगों की मदद होनी चाहिये। अगर ये शुद्ध चीजें खाना चाहते हैं तो इनको मदद इस काम में करनी चाहिये। बात कर देना आसान है लेकिन उसका करना मुश्किल है। खाने पीने की चीजें ऐसी हैं जो हर एक जगह पर, देहात से लेकर शहर तक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर बिकती हैं। इनकी मिलावट रोकने के लिये किसी माननीय सदस्य ने कहा कि नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। नैतिक स्तर अवश्य ऊंचा होना चाहिये। लेकिन नैतिक स्तर सरकार के हुक्म से ऊंचा नहीं होता है। नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये हम में से एक एक जो कई लाख का प्रतिनिधित्व करता है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, इस जिम्मेदारी को उठाना होगा, काम करना होगा।

मुझे अपना एक अनुभव है। मैं दिल्ली राज्य में स्वास्थ्य मंत्री का काम करती थी।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : साधू समाज को यह काम दे दो।

डा० सुशीला नायर : उस समय एक सज्जन मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि एक केस क्या, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर

कहता हूँ कि कितने ही पकड़वा दूंगा, मैं दूध, घी आदि की मिलावट बन्द करवा कर रहूंगा। उनके साथ हमने इंस्पेक्टर भेज दिया और कह दिया कि जहां ले जाना चाहो ले जाओ। थोड़े ही दिनों में उन्होंने कितने सारे केस पकड़वा दिये और काफी सारी दुरस्ती हो गई। इस प्रकार से हर एक जगह पर अगर एक दो या चार केस लोग भी ऐसे हों जो कमर कस कर कहें कि हम जाने को तैयार हैं, हम मदद करने को तैयार हैं तो काम हो सकता है।

इंस्पेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इंस्पेक्टर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। एक जगह पर एक ही इंस्पेक्टर के जिन्दगी भर रहने से गड़बड़ी होती है, उसमें तकलीफ होती है। अगर वह अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बुरा है तो उसकी कड़ियां बन जाती हैं। इस दृष्टि से हमने सिफारिश की स्टेट गवर्नमेंट्स को कि तबादला हो सके, ऐसी उनकी नौकरी रखो, ताकि अगर कोई खराबी होती भी है, तो उसको दुरुस्त करने का मौका मिल सके। उनकी पोस्ट को ट्रांसफरेबल करने के लिये, स्टेट सविस में रखने के लिये उनको कहा, बजाय इसके कि उनको म्यूनिसिपल सविस में रखा जाये, क्योंकि म्यूनिसिपल सविस में होगा तो वही रहेगा। यह काम तो करना स्टेट गवर्नमेंट्स को है, जिनकी इच्छा होगी या जिनमें शक्ति होगी, वे करेंगी। लेकिन हमने इस विधेयक में कुछ अपने सेंट्रल इंस्पेक्टर रखने की तजवीज रखी है ताकि जोनल बेसिस पर जाकर इम्प्लेमेंटेशन कैसा हो रहा है, इसको देखा जा सके, उस में जो मदद हो सकती है, वह मदद कर सकें।

इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कोताही हुई कि जिसके लिये तलखी से और नाराजगी से मेरे कुछ भाई बोले। यहां तक कि मर्यादा

ही उन्होंने छोड़ दी। हम इस सदन में बैठते हैं तो मर्यादा रखनी चाहिये और मर्यादा के अन्दर रह कर ही काम करनी चाहिये। अगर मर्यादा के अन्दर रह कर कोई बात कही जायेगी तो उसका असर हमारे दिल पर होगा, हम उसकी कद्र करेंगे, उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। आप गाली देंगे और मर्यादा छोड़ कर बोलेंगे तो जाहिर है कि हम समझेंगे कि गुस्से में बोलकर कह रहे हैं, मालूम नहीं घर में शायद बीबी से लड़ करके आए हैं, कौन जानता है कि मारा गुस्सा हम पर ही निकाल रहे हैं।

श्री बृजराज सिंह : गाली कौन सी दी गई है। अगर कोई दी गई हो तो रिकार्ड पर होगा। गाली कहना

श्री प्रोफ़ेसर लाल बेरवा : मेरी बीबी नहीं है।

डा० सुशीला नायर : अगर माननीय सदस्य ने भाषण नहीं सुने तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर बैठ कर अगर वे सभी भाषण सुनते तो उनकी समझ में आ जाता कि कुछ माननीय सदस्यों ने क्या कहा है। अगर वह चाहते हैं तो मदन का समय लेने के बजाय, वाद में जा कर सारा रिकार्ड पढ़ लें और सब कुछ उनको पता चल जायेगा कि किने क्या कहा और जो भाषा इस्तेमाल की वह अनुचित थी या नहीं थी। मेरा ऐसा विश्वास है कि शान्ति से अगर वह पढ़ेंगे तो वह स्वयं ही कहेंगे कि वह भाषा उचित नहीं थी। लेकिन उसको मैं छोड़ देती हूँ।

श्री बृजराज सिंह : यदि गाली दी गई है तो हम उसके लिये माफी मांग सकते हैं। लेकिन गाली क्या दी गई, यह तो बता दें। उस गाली को एकसपंज भी किया जा सकता है।

श्री प्रोफ़ेसर लाल बेरवा : बड़ी शुद्ध हिन्दी में मैंने अपनी बात कही है।

डा० सुशीला नायर : मैंने इनकी सब बातों शान्ति से सुनी हैं। लेकिन अब वह मेरा जवाब तक नहीं सुनना चाहते हैं। यह बड़ी मुश्किल की बात है।

एडल्ट्रेशन को रोका जाए, यह उन की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, हर एक की इच्छा है। इस काम में जितनी मदद सदस्य दे सकते हैं उतनी देंगे तब तो काम अच्छा चलेगा लेकिन अगर खाली एक वाद विवाद में पड़ेंगे तो जाहिर है कि काम ठीक नहीं चल सकेगा। मैं यह पानने को तैयार हूँ कि खाली कानून से काम नहीं होता है, कानून को अमल में लाने से काम होता है। मैं यह भी मानती हूँ कि कानून को अमल में लाने के लिये लैबोरेटरीज ज्यादा होनी चाहियें। यह बात भी सही है कि उन में ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिये। हम ने सब राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र लिखे हैं और हम इस काम में उनकी जितनी मदद हो सकती है कई जगहों पर करने की कोशिश करते हैं ताकि काम अच्छा हो सके। हमारी जो सेन्ट्रल लैबोरेटरीज है जिस में कि अपील वर्ग रह हो सकती है उसको हम ने इतना सुधार दिया है कि महीने के अन्दर जो हजारों वहाँ पर स्पेसिमेन जाते हैं, उन की रिपोर्ट उसी महीने में चली जाती है और एक महीने से ज्यादा अगर कोई केस रह जाते हैं तो उन की रिपोर्ट हमारे पास आती है जिस से कि उस की वजह देख कर के उस को समय समय पर दुरुस्त किया जा सके।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि ये गांव में घूमें तब इन को पता चले। ये तो महलों में रहते हैं इन को कैसे पता चल सकता है। जिस तरह से महल में मैं रहती हूँ उसी तरह वे महल में माननीय सदस्य भी रहते हैं। मैं एक एम० पी० के क्वार्टर में बैठी हुई हूँ, ये भी वही बैठ हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने तो शायद एम० पी० के क्वार्टर का फर्नीचर भी लिया हुआ होगा, लेकिन मेरे पास तो वही बांस का फर्नीचर है जो पहले से

[डा० सुशीला नायर]

या। मैं ने तो वह फर्नीचर भी नहीं लिया है। मेरे महल और इन के महल में किसी तरह से भी कोई फर्क नहीं है (इंटरप्शन)।

श्री धरजू पाण्डेय : ऐसा नहीं कहा (Interruption)।

डा० सुशीला नायर : जब गांवों में घूमने की बात की जाती है तो मैं आप के द्वारा यह कहना चाहती हूँ कि इन को तो दो जन्म लगेंगे उतने गांवों में घूमने को जितने गांवों में मैं घूमी हूँ।

यह क्या जानते हैं गांवों को। यह यहाँ बैठ कर बात करना जानते हैं, और हम को तो काम करना है। हम राज्य में बैठेंगे तो भी काम करेंगे और राज्य के बाहर बैठेंगे तो भी काम करेंगे। करते आये हैं और करते रहेंगे।

श्री १० मो० बनर्जी : यह क्या बात है। आप को पांच जन्म लग जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

Shri S. M. Banerjee: Sir, you should protest. What is this language? She cannot use this language. The difficulty is that you cannot follow Hindi.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri S. M. Banerjee: Is she entitled to use that language?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

डा० सुशीला नायर : उन को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसी बातें करें कि आप हिन्दी नहीं समझते हैं। आप हिन्दी समझते हैं और उन के बराबर समझते हैं। मैं कहना चाहती हूँ (इंटरप्शन)।

श्री स० मो० बनर्जी : अब आप इसका फायदा मत उठाइए। आप हमारी मोश्रज्जिज बहन हैं, लेकिन जो चाहें वह आप नहीं कह सकतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

Shri S. M. Banerjee: Then you can allow any language.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. She must be heard now.

Shri S. M. Banerjee: Does it mean that she can say anything she likes?

Mr. Deputy-Speaker: Nor can you say anything you like.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There is no point of order.

Shri S. M. Banerjee: What is this "Order, order"?

Mr. Deputy-Speaker: I say there is no point of order.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): Sir, he is rising on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri S. M. Banerjee: My point of order is this. Right from the beginning of her speech—her sentiments must have been injured; but that is a different matter—she has been saying in Hindi

इन सज्जन को दो जन्म लग जायेंगे। Even now she said: इन सज्जन को दो जन्म लग जायेंगे। No Honourable, no Member.

An hon. Member: It is not unparliamentary.

Shri S. M. Banerjee: There are many things in this world which are not unparliamentary. But, after all, we expect better behaviour from a Minister.

Mr. Deputy-Speaker: Sajjan is not unparliamentary (Interruptions).

डा० सुशीला नायर : इस में कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। जितना मैं धूम्री हूँ, उतना वे नहीं धूमे। श्री बनर्जी स्वयं हिन्दी प्रान्त से आ कर हिन्दी नहीं समझते इस पर मुझे बड़ा दुःख होता है, बड़ा अफसोस होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप को पांच जन्म लवंगे समाजवाद को खाने में।

डा० सुशीला नायर : यह गड़बड़ी करते हैं तो मेरा कहना है

Shri Sham Lal Saraf (Nominated—Jammu and Kashmir): Sir, I want your guidance on one point. The hon. Minister has stated, and it is a fact, that all her life she has been working in the villages. Actually, she visited hundreds of thousands of villages and suppose she tells me that, जितना वह धूम्री है उतना धूमने में मुझे दो जन्म लग जायेंगे I will readily accept it. I have nothing to say against it.

Shri Brij Raj Singh: Not I.

Shri Sham Lal Saraf: If Shri Brij Raj Singh does not accept it, that does not mean it is not a fact.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. In any case, I have not upheld that point of order.

डा० सुशीला नायर : अगर दो में नहीं, एक जन्म में वे धूम सकते हैं तो बड़ी खुशी है। मुझे इस के लिये कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह कठिन होगा। लेकिन जो भी हो, कहने का अर्थ यह है कि जो बात यहां पर कही गई उन में से कोई विशेष सुझाव निकला नहीं, ऐसा मुझे लगा। कहते हैं कि पांच जोनल आफिसज कहां कहां होंगे। यह मैं इस समय तो नहीं कह सकती हूँ। पांच जोनल आफिसज की बात हम ने अब तक सोची है। कहां कहां पर बे रखे

जायेंगे, कैसे कैसे उन को हम डेवलप कर सकेंगे, यह हम देखते जायेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे।

किसी ने हाकर्स की प्राब्लेम के बारे में कहा कि जिस खाने पर मक्खियां बैठती हैं ऐसा खाना लोग बेचते हैं। यह सही है। मगर कानून बना कर मक्खी बैठी हुई खुराक लोग न खायें। इस को रोकना कठिन है। इस के लिये हेल्थ एजुकेशन चाहिये, अपना सिविक सेन्स चाहिये। इस के लिये जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं।

मंडल साहब ने तो कहा कि उन को प्रशासन ही बदलना है। तो वह तो जब चुनाव आयेगा उस समय बदल सकें तो बदल लें। अगले चुनाव तक हम यहां बैठे रहेंगे और यथाशक्ति अपना काम करते जायेंगे। सेवा करते जायेंगे। किसी ने पूछा कि हम ने कितने प्रोसिक्यूशन्स किये हैं, कितने कंविक्शन्स किये हैं, तो मैं बतलाऊं कि सन् १९६२ में ४६.०३२ प्रोसिक्यूशन्स हुए और उन में से ३२,१५४ को सजायें मिलीं।

श्री सुझाव है एक तरफ से कि सजा ज्यादा हो दूसरी तरफ से कि कम हो। तो जब ज्वॉइंट कमेटी के सामने यह बिल जायगा तब उन की बुद्धिमत्ता के अनुसार इस में जो भी दुरुस्ती या परिवर्तन करने की आवश्यकता लगेगी, वह उस में संशोधन कर सकेंगे। उस के बाद यह विधेयक यहां पर फिर आयेगा और माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना होगा वह कहेंगे और जिस प्रकार का विधेयक वह चाहेंगे, बनायेंगे। आखिर यह सदन सब से ऊपर है। इस सदन के हाथ में है विधेयक को पास करना। वह चाहे तो पास करे और न चाहे तो न पास करे। निकाल देना ही तो निकाल दे, सजा बढ़ानी हो बढ़ायें, घटानी हो घटायें। हमें जो भी मुनासीब लगा माननीय सदस्यों की बातें सुन कर, पार्लियामेंट और जनता की बातें सुन कर, उस के अनुसार हम ने कोशिश की है संशोधन करने की, ताकि विधेयक को हम जितना अच्छा

[डा० सुशिला नायर]

कर सकते हैं उतना अच्छा करें, जितने लूप-होल्स हम प्लग कर सकें करें।

यह विधेयक जो सदन के सामने है उस का इम्प्लिमेंटेशन सारे देश में केन्द्र के द्वारा हो यह मुझे बहुत सम्भव नहीं लगता, क्योंकि इस का इम्प्लिमेंटेशन देश के कोने कोने तक होना है, किन्हीं चन्द जगहों पर होना नहीं है। विन्नी ने पूछा कि फूड इन्स्पेक्टरों की क्वालिफिकेशन्स क्या हों, इसको भी प्रैसक्राइब करना चाहिये। इस के लिये प्रिवेंशन आफ फूड ऐडल्टरेशन के नवें रूप में रास्ता रक्खा गया है। इस के अलावा एक कमेटी है, एक स्टूटरी कमेटी है प्रिवेंशन आफ फूड ऐडल्टरेशन एक्ट में। उस ने एक सब-कमेटी भी बिठाई है और उसमें इन्स्पेक्टरों की क्वालिफिकेशन्स के बारे में और अधिक विचार किया जा रहा है। और उन को जितना सुधारा जा सकता है, जितना अच्छा किया जा सकता है, उतना किया जायगा। जितनी भी धारयें इस संशोधन विधेयक में रक्खी गई हैं वह सब इन्नी लिये रक्खी गई हैं कि हम एडल्टरेशन को जितनी जल्दी रोक सकें, रोकें। यहां पर कोई डुएल कंट्रोल की बात नहीं है। इम्प्लिमेंटेशन रहेगा स्टेट अथॉरिटीज के साथ लेकिन अगर कुछ हमारे यानी केन्द्र के इन्स्पेक्टर वगैरह रहेंगे तोवे उन की मदद कर सकेंगे। इस के अलावा जो एडल्टरेशन वाली चीजें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आती हैं उन के सम्बन्ध में स्टेट की हदबन्दी के कारण जो कठिनाइयां समय समय पर पैदा होती है, केन्द्र के इन्स्पेक्टर उन को भी दुरुस्त कर सकेंगे।

इस दृष्टि से यह विधेयक सदन के सामने आया है। जैसा मैं ने शुरू में कहा, करीब करीब एक दो माननीय सदस्यों को छोड़ कर सभी ने इस का स्वागत किया है और इस के लिये मैं सदन की बहुत आभारी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जो ज्वाइंट कमेटी सदन नियुक्त कर रहा

है वह बहुत ध्यानपूर्वक जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन को देख कर, जो भी दुरुस्ती करने की आवश्यकता होगी वह करेगी और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने भेजेगी।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 33 members, 22 from this House, namely: Shri K. L. Balmiki, Shri Sonubhau Dagadu Baswant; Shrimati Jyotsna Chanda; Shri N. C. Chatterjee; H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo; Shri Shiv Charan Gupta; Shri Prabhu Dayal Himatsingka; Shri Tulshidas Jadhav; Shri Hari Vishnu Kamath; Shri C. M. Kedaria; Dr. Mahadeva Prasad; Shri Yamuna Prasad Mandal; Dr. G. S. Melkote; Shri Gokulananda Mohanty; Dr. D. S. Raju; Sardar Ranjit Singh; Dr. Sarojini Mahishi; Dr. C. B. Singh; Dr. P. Srinivasan; Shri U. M. Trivedi; Shrimati V. Vimla Devi, and Dr. Sushila Nayar and 11 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 11 members to be appo-

inted by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 4, 1964/Jyaistha 14, 1886 (Saka).